



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2016/फाल्गुन 27, 1937

No. 98]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2016/ PHALGUNA 27, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण**अधिसूचना**

हैदराबाद, 9 मार्च, 2016

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/4/116/2016.— बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3, 6 और 114ए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 26 के साथ पठित धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय I

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016 के नाम से जाने जाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 अभिप्रेत है;

(ख) "आवेदक" से (i) लॉयड्स के सदस्यों की ओर से लॉयड्स की सोसाइटी; इसके बाद लॉयड्स के रूप में उल्लिखित;

(ii) लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनियाँ; और (iii) लॉयड्स इंडिया के व्यवसायसंघ (सिंडिकेट) अभिप्रेत हैं;

(ग) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

- (घ) "भारतीय पुनर्बीमाकर्ता" से वह पुनर्बीमाकर्ता अभिप्रेत है जिसको प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 101ए के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो।
- (ड) "लॉयड्स इंडिया के साथ जोखिम-व्यवस्था करनेवाले बीमा दलाल" से वे भारतीय सम्मिश्र / पुनर्बीमा दलाल अभिप्रेत हैं जो लॉयड्स इंडिया के साथ व्यवसाय की व्यवस्था करने चाहते हैं और विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं।
- (च) "लॉयड्स इंडिया" से पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त आवेदक का शाखा कार्यालय अभिप्रेत है।
- (छ) "प्रबंध एजेंट" से वह कॉरपोरेट संस्था अभिप्रेत है जिसे व्यवसायसंघ का प्रबंध करने के लिए तथा लॉयड्स के सदस्यों की ओर से जोखिम-अंकन और अन्य कार्य करने के लिए लॉयड्स से अनुमति प्राप्त हो।
- (ज) "लॉयड्स इंडिया के सदस्य" से लॉयड्स के वे सदस्य अभिप्रेत हैं जो लॉयड्स इंडिया में सहभागिता करना चाहते हैं;
- (झ) "निवल स्वाधिकृत निधि" (एनओएफ) में निम्नलिखित शामिल होंगे
- प्रदत्त ईक्विटी पूँजी,
 - निर्बंध आरक्षित निधियाँ,
 - प्रतिभूति प्रीमियम खाता जिसकी राशि में से निम्नलिखित को घटाया जाएगा
 - संचित हानियाँ,
 - अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य,

निवल स्वाधिकृत निधि की संगणना पिछले लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर की जानी चाहिए तथा तुलन-पत्र की तारीख के बाद जुटाई गई कोई भी पूँजी निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की संगणना करते समय हिसाब में नहीं ली जानी चाहिए।

- (ञ) "लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनियाँ" से अभिप्रेत है
- लॉयड्स के प्रबंध एजेंटों द्वारा प्रवर्तित सेवा कंपनियाँ
 - भारतीय कंपनियों द्वारा प्रवर्तित और विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करनेवाली सेवा कंपनियाँ
- (ट) "लॉयड्स इंडिया के व्यवसायसंघ" से लॉयड्स के व्यवसायसंघ अभिप्रेत हैं जो प्राधिकार प्रत्यायोजित सेवा कंपनी व्यवस्था के माध्यम से लॉयड्स इंडिया में सहभागिता करना चाहते हैं।
- (ठ) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उन अधिनियमों के अधीन बनाये गये किसी भी नियम अथवा विनियम में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों, जैसी स्थिति हो, में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय II

लॉयड्स इंडिया के घटक

3. लॉयड्स इंडिया के घटकों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- लॉयड्स के सदस्य जो सामूहिक रूप से
- व्यवसायसंघों के रूप में गठित हैं और लॉयड्स इंडिया के अंदर स्थित
- सेवा कंपनियों को प्राधिकार प्रत्यायोजित करते हैं।

4. लॉयड्स, लॉयड्स इंडिया की स्थापना करेगा जिसे इन विनयनों में निर्धारित तरीके से भारत में और भारत के बाहर पुनर्बीमा व्यवसाय के संचालन हेतु एक बाजार और सहायक संरचनाओं को स्थापित करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
5. लॉयड्स इंडिया एक बाजार होने के कारण यह सुनिश्चित करेगा कि पुनर्बीमा व्यवसाय के संचालन के लिए बाजार और घटकों को लॉयड्स इंडिया के कार्यालय स्थल के अंदर रखा जाएगा।
6. लॉयड्स इंडिया के व्यवसायसंघों और सेवा कंपनियों को भी इन विनयनों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

अध्याय III

लॉयड्स इंडिया का पंजीकरण

7. लॉयड्स इंडिया के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया

- क) लॉयड्स इंडिया के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय करने का इच्छुक आवेदक फार्म आईआरडीएआई/लॉयड्स/आर1 में पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र प्रस्तुत करेगा।
- ख) आवेदक, पंजीकरण के आवेदन के लिए जिसका माँग-पत्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया हो, पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु फार्म आईआरडीएआई/लॉयड्स/आर2 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

8. पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र – आवेदक निम्नलिखित किसी एक श्रेणी में पुनर्बीमा व्यवसाय हेतु विनियम 7 के अधीन पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र प्रस्तुत करेगा:

- क) श्रेणी I – जिसमें प्रत्येक व्यवसायसंघ भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय के 50% का न्यूनतम प्रतिधारण करेगा।
- ख) श्रेणी II – जिसमें प्रत्येक व्यवसायसंघ भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय के 30% का न्यूनतम प्रतिधारण करेगा।

9. पात्रता मानदंड – प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर भारत में लॉयड्स इंडिया स्थापित करने के लिए आवेदक से पंजीकरण के आवेदन हेतु माँग-पत्र के लिए अनुरोध पर विचार कर सकता है कि:

- क) आवेदक ने प्राधिकरण के पास आवेदन दाखिल करने के समय अपने देश के विनियमनकर्ता से पूर्व-अनुमोदन अथवा सिद्धांत रूप में अनुमति प्राप्त की है।
- ख) आवेदक को एक राष्ट्रीय विनियामक परिवेश में पंजीकृत अथवा प्रमाणित किया जाएगा और जिसके साथ भारत सरकार ने दोहरे कराधान अपवर्जन करार पर हस्ताक्षर किये हों।
- ग) आवेदक की निवल स्वाधिकृत निधि किसी भी समय पाँच हजार करोड़ रुपये की निर्धारित राशि से कम नहीं होगी।
- घ) आवेदक पिछले 3 वर्षों में किसी भी अंतरराष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से प्राप्त ऐसे न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग से युक्त होगा जिसमें कम से कम अच्छी वित्तीय प्रतिभूति विशिष्टताएँ हों।
- ङ) आवेदक कम से कम 10 वर्षों के लिए पुनर्बीमा व्यवसाय में रह चुका होगा।
- च) आवेदक के पास अपने देश के विनियमनकर्ता द्वारा निर्धारित शोधक्षमता मार्जिन होगा।
- छ) आवेदक लॉयड्स इंडिया में एक सौ करोड़ रुपये की न्यूनतम समनुदेशित पूँजी लगाएगा।
- ज) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली किसी भी अन्य अपेक्षा का पालन करेगा।

10. पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र –

(क) कोई भी आवेदक आवेदन के माँग-पत्र हेतु आवेदन करने के लिए तभी पात्र होगा, यदि ऐसा आवेदक पंजीकरण के बाद अधिनियम की धारा 2(9)(घ) में परिभाषित रूप में एक बीमाकर्ता होगा।

वशर्ते कि आवेदक जिसका,-

- i. पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र की तारीख को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र को अस्वीकार किया गया हो; अथवा
 - ii. पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र की तारीख को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार किया गया हो; अथवा
 - iii. पूर्ववर्ती तीन वर्षों में प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण के प्रमाणपत्र को निरस्त किया गया हो अथवा वापस लिया गया हो;
- इन विनियमों के अधीन पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा।

11. आवेदक द्वारा पंजीकरण के आवेदन के लिए प्रत्येक माँग-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत किये जाएँगे:

- (क) लॉयड्स अधिनियम, 1982 के अधीन चार्टर और उप-विधियों की एक प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें उसके निर्माण की विधि उसके व्यवसाय के संचालन का विवरण दिया गया हो;
- (ख) भारत में परिचालनों के प्रभारी के रूप में प्रस्तावित व्यक्ति का नाम, स्थिति, पता और व्यवसाय;
- (ग) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में समनुदेशित पूँजी डालने (इन्फ्यूजन) के संबंध में निर्दिष्ट करते हुए विवरण;
- (घ) पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र दाखिल करने के वर्ष से पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के लिए आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति;
- (ङ) आवेदक के स्वदेश के विनियमनकर्ता से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रति कि आवेदक ने लॉयड्स इंडिया खोलने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त की है;
- (च) लॉयड्स से प्राप्त चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) कि वह लॉयड्स इंडिया में एक सेवा कंपनी के माध्यम से पुनर्बीमा का जोखिम-अंकन करनेवाले लॉयड्स के सदस्यों के समक्ष विद्यमान दावों को पूरा करेगा तथा इन विनियमों के अधीन लॉयड्स के सदस्य के द्वारा जारी की गई पुनर्बीमा पॉलिसी के धारक को हर समय केन्द्रीय निधि सहित, लॉयड्स की सुरक्षा-शृंखला का अवलंब प्राप्त होगा।
- (छ) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई भी अन्य अपेक्षा।

12. अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरण आदि प्रस्तुत करना – प्राधिकरण पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र पर विचार करने से संबंधित विषयों के संबंध में कोई भी अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए आवेदक से अपेक्षा कर सकता है।

13. पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र पर विचार करना –

(क) प्राधिकरण पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र पर विचार करते समय आवेदक के द्वारा पुनर्बीमा का व्यवसाय करने से संबंधित सभी विषयों को हिसाब में लेगा।

(ख) विशेष रूप से और पूर्वोल्लिखित बातों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना प्राधिकरण निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगा, अर्थात् :-

- (i) आवेदक जिस कारोबार/ व्यवसाय में लगा हुआ है उसके क्षेत्र में आवेदक के आचरण और कार्यनिष्पादन का सामान्य पिछला रिकार्ड;

- (ii) आवेदक के निदेशकों और प्रबंधन से संबद्ध व्यक्तियों के आचरण और कार्यनिष्पादन का रिकार्ड;
- (iii) पुनर्बीमा व्यवसाय को प्रभावी रूप में संचालित करने के लिए लॉयड्स इंडिया की प्रस्तावित बुनियादी संरचना;
- (iv) पाँच अनुवर्ती वर्षों के लिए प्रस्तावित व्यवसाय योजना;
- (v) अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अन्य संगत विषय।

(ग) प्राधिकरण प्रस्तुत की गई सूचना से संतुष्ट होने पर कि-

(क) फार्म आईआरडीएआई/लॉयड्स/आर1 में माँग-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण है और उसमें अपेक्षित सभी दस्तावेज उसके साथ प्रस्तुत किये गये हैं;

(ख) लॉयड्स इंडिया पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में सभी कार्य संचालित करेगा;

माँग-पत्र को स्वीकार कर सकता है तथा आवेदक को पंजीकरण के लिए आवेदन की आपूर्ति करने का निर्देश दे सकता है।

14. पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र का अस्वीकरण – (1) जहाँ विनियम 13 के अधीन निर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है, वहाँ प्राधिकरण आवेदक को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए माँग-पत्र को अस्वीकार कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश प्राधिकरण के द्वारा ऐसी अस्वीकृति से तीस दिन के अंदर आवेदक को लिखित में वह कारण बताते हुए सूचित किया जाएगा जिसके आधार पर आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय से असंतुष्ट आवेदक निर्णय की प्रति प्राप्त करने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अंदर उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (एसएटी) को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

15. पंजीकरण के लिए आवेदन – (1) आवेदक, पंजीकरण के लिए आवेदन हेतु जिसका माँग-पत्र स्वीकार किया गया हो, पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए फार्म आईआरडीएआई/ लॉयड्स/आर2 में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे –

(क) एक सौ करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक समनुदेशित पूँजी रखने के साक्ष्य का दस्तावेजी प्रमाण;

(ख) यह प्रमाणित करते हुए आवेदक के निदेशक बोर्ड अथवा प्रबंधन की कार्यकारिणी समिति, जैसी स्थिति हो, द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से प्राप्त शपथ-पत्र कि समनुदेशित पूँजी की अपेक्षाएँ पूरी की गई हैं;

(ग) यह प्रमाणित करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र कि अधिनियम की धारा 6(2) की इस आशय की अपेक्षाएँ कि कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि पाँच हजार करोड़ रुपये से अधिक है, पूरी की गई हैं;

(घ) पाँच लाख रुपये के वापस न करने योग्य शुल्क का भुगतान दशनिवाली रसीद;

(ङ) यह प्रमाणित करते हुए किसी व्यवसायगत सनदी लेखाकार अथवा व्यवसायगत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र कि पंजीकरण शुल्क, समनुदेशित पूँजी और अधिनियम की अन्य अपेक्षाओं का आवेदक द्वारा पालन किया गया है;

(च) पंजीकरण के लिए आवेदन पर कार्रवाई करने के दौरान प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य सूचना।

16. आवेदन पर विचार –

(क) प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने पर विचार करने के लिए आवेदक के द्वारा लॉयड्स इंडिया के माध्यम से पुनर्बीमा का व्यवसाय करने से संबंधित सभी विषयों को हिसाब में लेगा।

(ख) विशेष रूप से और पूर्वोल्लिखित बातों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना प्राधिकरण आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगा, अर्थात् :-

- (क) आवेदक के निदेशकों और प्रबंधन से संबद्ध व्यक्तियों के आचरण और कार्यनिष्पादन का रिकार्ड;
- (ख) लॉयड्स इंडिया की प्रस्तावित बुनियादी संरचना;
- (ग) प्रस्तावित जोखिम-अंकन के कौशल जो लॉयड्स इंडिया को अंतरित किये जाएंगे;
- (घ) अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अन्य संगत विषय।

(ग) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि-

- (i) फार्म आईआरडीएआई/लॉयड्स/आर2 में आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है और उसमें अपेक्षित सभी दस्तावेज उसके साथ प्रस्तुत किये गये हैं;
- (ii) यथाविनिर्दिष्ट रूप में आवेदक पुनर्बीमा व्यवसाय करेगा; पंजीकरण के लिए आवेदक के आवेदन को स्वीकार कर सकता है।

17. पंजीकरण के लिए आवेदन का अस्वीकरण –

(क) जहाँ पंजीकरण के लिए आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है तथा विनियमों और फार्म आईआरडीएआई/लॉयड्स/आर2 में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुरूप नहीं है, एवं विनियम 15, 16 और 19 में उल्लिखित विषय पर विचार करने के बाद और इस बात से संतुष्ट होने पर कि पंजीकरण के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करना वांछनीय नहीं है, वहाँ प्राधिकरण एक आदेश द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

वशर्ते कि आवेदक के आवेदन को अस्वीकार करने से पहले प्राधिकरण द्वारा आवेदक को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

(ख) उप-विनियम (1) के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा ऐसी अस्वीकृति से तीस दिन के अंदर आवेदक को लिखित में वह कारण बताते हुए सूचित किया जाएगा जिसके आधार पर आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

(ग) उप-विनियम (2) के अधीन प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट आवेदक निर्णय की प्रति प्राप्त करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर ऐसे निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए एसएटी को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(घ) विनियम 15(2) के खंड (घ) में उल्लिखित शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

18. पंजीकरण के लिए शुल्क के भुगतान की विधि – पाँच लाख रुपये का वापस न करने योग्य शुल्क भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नाम किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किये गये बैंक ड्राफ्ट से अथवा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को किसी मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण द्वारा विप्रेषित किया जाएगा।

19. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना – प्राधिकरण, अपने द्वारा उचित समझी जानेवाली जाँच करने के बाद और इस बात से संतुष्ट होने पर कि –

- (क) आवेदक पात्र है, और उनकी राय में यह संभावना है कि वह अधिनियम के अंतर्गत लागू किये गये दायित्वों का प्रभावी रूप से वहन करेगा;
- (ख) आवेदक की वित्तीय स्थिति और प्रबंधन का सामान्य स्वरूप सुदृढ़ हैं;
- (ग) संभावित रूप से आवेदक को उपलब्ध होनेवाले व्यवसाय की मात्रा और उसके अर्जन की संभावनाएँ पर्याप्त होंगी,
- (घ) आवेदन में विनिर्दिष्ट किये गये पुनर्बीमा व्यवसाय की श्रेणी के संबंध में यदि आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है तो सामान्य जनता के हितों के लिए उपयुक्त होगा;

इन विनियमों के विनियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट पुनर्बीमा श्रेणी के लिए लॉयड्स के शाखा कार्यालय के रूप में आवेदक को पंजीकृत कर सकता है जिसके लिए आवेदक उपयुक्त पाया गया हो तथा फार्म आईआरडीएआई/लॉयड्स/आर3 में एक प्रमाणपत्र आवेदक को प्रदान कर सकता है।

20. लॉयड्स इंडिया के अनुमोदन को नियंत्रित करनेवाली शर्तें -लॉयड्स इंडिया के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने पर विचार करते समय प्राधिकरण निम्नलिखित शर्तें निर्धारित करेगा:

- क. आवेदक विनियम 11 (च) के अनुसार चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) में व्यक्त की गई प्रतिबद्धता के समर्थन में आवेदक के निदेशक मंडल अथवा आवेदक के प्रबंधन की कार्यकारिणी समिति, जैसी स्थिति हो, के संकल्प की एक विधिवत् प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा।
- ख. लॉयड्स इंडिया, लॉयड्स के सदस्य की ओर से जोखिमों का अंकन (अंडरराइटिंग) और दावों का निपटान करने में सक्षम होगा।
- ग. समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए के (निवेश) विनियम, 2000 के अनुसार न्यूनतम समनुदेशित पूँजी का निवेश किया जाएगा।
- घ. आवेदक भारत में अपने शाखा कार्यालय में व्यवसाय की विशेषीकृत श्रेणियों का जोखिम-अंकन करने के लिए पर्याप्त रूप से कुशलता-प्राप्त स्टाफ को नियुक्त करने के लिए एवं इस बात का कि भारतीय व्यवसाय का जोखिम-अंकन लॉयड्स के सदस्यों की ओर से भारतीय शाखा में किया जाएगा, एक पक्का वायदा करेगा।
- ङ. आवेदक विभिन्न वर्गों के व्यवसाय को सँभालने में भारतीय जोखिम-अंकनकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए वायदा करेगा।
- च. लॉयड्स इंडिया विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 तथा ऐसे कार्यालयों के परिचालनों को नियंत्रित करनेवाले प्रचलित किसी भी अन्य कानून की अपेक्षाओं का पालन करेगा।
- छ. लॉयड्स इंडिया अपने परिचालनों में बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999, नियमों, विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, आदि का अनुसरण करेगा।

21. समय-सीमा: आवेदक जिसे इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, पंजीकरण की तारीख से बारह महीने के अंदर पुनर्बीमा व्यवसाय प्रारंभ करेगा जिसके लिए उसे प्राधिकृत किया गया है। तथापि, शर्त यह होगी कि यदि लॉयड्स इंडिया बारह महीने की विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर पुनर्बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने में समर्थ नहीं है, तो वह समय-सीमा की समाप्ति से पहले प्राधिकरण के अध्यक्ष को एक उपयुक्त लिखित आवेदन प्रस्तुत करने के द्वारा समय-सीमा बढ़ाने की अपेक्षा कर सकता है।

- क) प्राधिकरण का अध्यक्ष उक्त अनुरोध प्राप्त होने पर उसकी जाँच करेगा और उस अनुरोध को अस्वीकार करने अथवा समय-सीमा में वृद्धि प्रदान करने का निर्णय लिखित में सूचित करेगा।
- ख) प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा विनियम 19 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से अठारह महीने से अधिक समय-वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी।

अध्याय IV

22. लॉयड्स इंडिया का सदस्य

(क) लॉयड्स इंडिया प्राधिकरण को अनुबंध "1" में दिये गये फार्मेट में लॉयड्स के उन सदस्यों के बारे में सूचित करेगा जो लॉयड्स इंडिया में सहभागिता करना चाहते हैं।

(ख) लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनियों के माध्यम से जोखिम-अंकन करनेवाले लॉयड्स के सदस्यों की सूची प्राधिकरण को वार्षिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

अध्याय V**लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनियाँ****23. लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनियाँ स्थापित करने के लिए मानदंड**

(क) लॉयड्स के प्रबंध एजेंट और लॉयड्स इंडिया में सहभागिता करने के इच्छुक भारतीय कंपनियाँ निम्नलिखित मानदंडोंके साथ एक सेवा कंपनी स्थापित करेंगी :

- i. उक्त सेवा कंपनी पाँच लाख रुपये की न्यूनतम पूँजी के साथ एक निजी अथवा सरकारी लिमिटेड कंपनी हो सकती है।
- ii. संस्था के बहिनियमों (एमओए)/ संस्था के अंतर्नियमों (एओए) के मुख्य उद्देश्य संपूर्ण तकनीकी, जोखिम-अंकन, बाध्यकारी जोखिमों, दावों के निपटान संबंधी, प्रशासनिक, लेखांकन, निवेश, विनियामक और अन्य सहायता उन व्यवसायसंघों (सिंडिकेटों) को प्रदान करने के होंगे, जिनका प्रतिनिधित्व वे करती हैं।
- iii. सेवा कंपनी जिस व्यवसायसंघ का प्रतिनिधित्व करती है उसके सभी सांविधिक और विनियामक प्रस्तुतियों (फाइलिंग्स) के लिए जिम्मेदार होगी।
- iv. सेवा कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों के अधीन होगा और प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।
- v. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली किसी भी अन्य अपेक्षा का पालन किया जाएगा।

24. लॉयड्स इंडिया के लिए सेवा कंपनी के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया

- (क) लॉयड्स के प्रबंध एजेंट जो लॉयड्स इंडिया में पुनर्बीमा का जोखिम-अंकन करने के लिए सेवा कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, अनुबंध "2" में दिये गये फार्मेट में लॉयड्स इंडिया के माध्यम से प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- (ख) भारतीय कंपनियाँ जो लॉयड्स इंडिया के लिए सेवा कंपनी स्थापित करना चाहती हैं, अनुबंध "2" में दिये गये फार्मेट में लॉयड्स इंडिया के माध्यम से प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेंगी।
- (ग) सेवा कंपनी वह/वे व्यवसायसंघ निर्दिष्ट करेगी जिसका/ जिनका वह लॉयड्स इंडिया में प्रतिनिधित्व करेगी अथवा नहीं करेगी।
- (घ) लॉयड्स इंडिया के लिए सेवा कंपनी के पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ पचास हजार रुपये का शुल्क अदा किया जाएगा।

25. लॉयड्स इंडिया के लिए सेवा कंपनी द्वारा भरे जानेवाले वचनपत्र

(क) सेवा कंपनी लॉयड्स सेवा कंपनी रक्षाधारक (कवरहोल्डर) वचनपत्र भरेगी जिसके माध्यम से सेवा कंपनी दोनों लॉयड्स और स्थानीय कानूनी, राजकोषीय, कराधान और विनियामक प्राधिकरणों के सभी संबंधित नियमों और अपेक्षाओं का पालन करना स्वीकार करेगी।

(ख) सेवा कंपनी लॉयड्स का रक्षाधारक निर्णय पत्र भी भरेगी जिसमें प्रस्तावित सेवा कंपनी के संबंध में निम्नलिखित जानकारी सहित, विस्तृत सूचना दी जाने की व्यवस्था है:

- i. सेवा कंपनी को प्रदत्त जोखिम-अंकन और दावा प्राधिकार का स्तर,
- ii. सेवा कंपनी के लिए व्यवसाय कार्यनीति,
- iii. सेवा कंपनी में परिचालन करनेवाले प्रधान स्टाफ से संबंधित ब्योरा,
- iv. वित्तीय सूचना,
- v. व्यावसायिक क्षतिपूर्ति का ब्योरा,
- vi. सेवा कंपनी द्वारा जोखिम-अंकन किये जानेवाले व्यवसाय की श्रेणियाँ,

- vii. पंजीकरण की अपेक्षाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए सेवा कंपनी द्वारा अपनाया जानेवाला दृष्टिकोण,
- viii. प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन लॉयड्स द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले रूप में अन्य अपेक्षाएँ।

(ग) निर्णय पत्र पूरा करने के बाद सेवा कंपनी लॉयड्स के न्यूनतम मानकों के आधार पर लॉयड्स सेवा कंपनी का स्व-मूल्यांकन निष्पादित करेगी जिसमें सेवा कंपनी के संबंध में की गई आंतरिक लेखा-परीक्षा जैसी सूचना शामिल होगी।

(घ) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य अपेक्षा।

26. लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनी बनने के लिए आवेदन पर विचार

- (क) प्राधिकरण का अध्यक्ष लॉयड्स इंडिया की सिफारिश सहित, सभी प्रस्तुतियों को हिसाब में लेने के बाद लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनी और उस/उन व्यवसायसंघ (व्यवसायसंघों) जिसका/ जिनका वह प्रतिनिधित्व करती है, को संयुक्त रूप से पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- (ख) प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

27. लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनियों को नियंत्रित करनेवाली शर्तें

- (क) लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनियाँ लॉयड्स इंडिया द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने के अधीन होंगी।
- (ख) सेवा कंपनियाँ सेवा कंपनी जोखिम-अंकन करार करेंगी, एक ऐसी संविदा जो संबंधित व्यवसाय संघों के सदस्यों से सेवा कंपनी को प्राधिकार प्रत्यायोजित करती है।
- (ग) सेवा कंपनी जोखिम-अंकन करार के अंतर्गत लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी:
 - i. लॉयड्स के सदस्यों की ओर से बाध्यकारी बीमा और उसमें संशोधन;
 - ii. पुनर्बीमाकृत संस्था से प्रीमियम प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए लॉयड्स के सदस्यों की ओर से कार्य करना तथा वापस की जानेवाली धनराशियों का निपटान और पुनर्बीमाकृत संस्था को आगे प्रेषित करने से पहले दावा राशि प्राप्त करना;
 - iii. व्ययों का प्रबंध और नियंत्रण;
 - iv. जोखिम-अंकन करनेवाले स्टाफ का नियोजन;
 - v. कुशलतापूर्ण तरीके से पुनर्बीमा व्यवसाय को संचालित करने के लिए लॉयड्स इंडिया द्वारा उसे सौंपा जानेवाला कोई अन्य कार्य।

(घ) सेवा कंपनी निम्नलिखित कार्य करेगी:

- i. बीमा संविदाओं को प्रमाणित करनेवाले दस्तावेजों, जोखिम-अंकनकर्ताओं द्वारा लिखित में सहमति दिये गये रूप में बीमारक्षा को प्रमाणित करनेवाले समर्थनपत्रों (इंडॉर्समेंट्स) और ऐसे अन्य दस्तावेजों का निर्गम;
- ii. जोखिम-अंकनकर्ताओं की ओर से प्रीमियमों और वापसी प्रीमियमों का संग्रहण और प्रसंस्करण;
- iii. यदि प्राधिकृत किया गया हो, तो दावों और/ या दावों के निपटान के संबंध में कार्रवाई करना;
- iv. उन व्यवसायसंघों के नाम का उपयोग करेगी जिनका प्रतिनिधित्व वह करती हो तथा वह केवल व्यवसायसंघों की क्षमता पर ही लिख रही है और स्वयं बीमाकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर रही है;
- v. स्थानीय प्रतिभा का कौशल-विकास और क्षमता-निर्माण;
- vi. भारत को एक पुनर्बीमा केन्द्र (हब) के रूप में बनाने के लिए प्रयास करेगी;
- vii. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) और अन्य स्थानीय विधियों का अनुपालन;

- viii. लॉयड्स इंडिया द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन;
- ix. अधिनियम, प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन;
- x. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली किसी अन्य अपेक्षा का अनुपालन।

28. लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन का अस्वीकरण अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण

- (क) जहाँ सेवा कंपनी स्थापित करने के लिए भारतीय कंपनी के आवेदन को लॉयड्स इंडिया द्वारा अस्वीकार किया गया हो, वहाँ भारतीय कंपनी प्राधिकरण को अपील कर सकती है।
- (ख) प्राधिकरण अपील पर विचार कर सकता है और मामले के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद आवश्यक आदेश पारित कर सकता है।

यदि लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनी के आवेदन को प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार किया जाता है, तो ऐसी अस्वीकृति से तीस दिन के अंदर प्राधिकरण द्वारा ऐसा आदेश लिखित में उसके अंतर्गत वह आधार बताते हुए जिसके कारण आवेदन को अस्वीकार किया गया हो, सूचित किया जाएगा।

- (ग) जहाँ प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण करने की अपेक्षा लॉयड्स इंडिया द्वारा की जाती है, वहाँ प्रतिसंहरण के लिए कारण देते हुए लॉयड्स इंडिया की सिफारिश के साथ वह प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा।
- (घ) प्राधिकरण उक्त अनुरोध पर विचार कर सकता है तथा मामले के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद आवश्यक आदेश पारित कर सकता है।
- (ङ) यदि लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, तो ऐसे प्रतिसंहरण से तीस दिन के अंदर प्राधिकरण द्वारा ऐसा आदेश लिखित में वह कारण बताते हुए जिसके आधार पर आवेदन/पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण किया गया है, सूचित किया जाएगा।
- (च) उप-विनियम (ख) के अधीन प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट आवेदक उक्त निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अंदर उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (एसएटी) को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

29. लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण

(क) सेवा कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन अनुबंध "2" में दिये गये उसी फार्मेट में लॉयड्स इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत करेगी।

(ख) सेवा कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की प्रक्रिया, आवेदन पर विचार, वचनपत्र और उनके आचरण को नियंत्रित करनेवाली शर्तें उपर्युक्त विनियम 24, 25, 26 और 27 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगी।

30. लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण

(क) सेवा कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए लॉयड्स इंडिया के माध्यम से आवेदन कर सकती है।

(ख) प्राधिकरण वर्तमान संविदाओं की सर्विसिंग सहित, मामले के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्पण के लिए अनुरोध पर विचार कर सकता है और आवश्यक आदेश पारित कर सकता है।

अध्याय VI

लॉयड्स इंडिया में सहभागिता करनेवाले व्यवसायसंघ (सिंडिकेट)

31. लॉयड्स इंडिया में सहभागिता करनेवाले व्यवसायसंघों के लिए क्रियाविधि

(क) लॉयड्स के व्यवसायसंघ जो लॉयड्स इंडिया में सेवा कंपनी के माध्यम से पुनर्बीमा संबंधी जोखिम-अंकन करना चाहते हैं, अनुबंध "2" में दिये गये फार्मेट में लॉयड्स इंडिया के माध्यम से सेवा कंपनी के साथ प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

32. लॉयड्स इंडिया में जोखिम-अंकन करने के लिए आवेदन पर विचार

(क) प्राधिकरण का अध्यक्ष लॉयड्स इंडिया की सिफारिश सहित, सभी प्रस्तुतियों को हिसाब में लेने के बाद सेवा कंपनी और जिस व्यवसायसंघ (जिन व्यवसायसंघों) का वह प्रतिनिधित्व करती है उस व्यवसायसंघ (उन व्यवसायसंघों) को संयुक्त रूप से पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

33. लॉयड्स इंडिया में व्यवसायसंघ (सिंडिकेट) के रूप में परिचालन करने के लिए अनुमोदन को नियंत्रित करनेवाली शर्तें

- (क) प्रत्येक व्यवसायसंघ (सिंडिकेट) सेवा कंपनी के माध्यम से पाँच करोड़ रुपये की समनुदेशित पूँजी बनाये रखेगा।
- (ख) व्यवसायसंघ सेवा कंपनी जोखिम-अंकन करार करेंगे, जो एक ऐसी संविदा है जो संबंधित व्यवसायसंघों के लॉयड के सदस्यों से सेवा कंपनी को प्राधिकार प्रत्यायोजित करती है।
- (ग) लॉयड्स इंडिया के व्यवसायसंघ यह सुनिश्चित करेंगे कि:
 - i. पुनर्बीमा व्यवसाय का प्रबंध सेवा कंपनी के माध्यम से लॉयड्स इंडिया के सदस्यों की ओर से किया जाता है;
 - ii. व्यवसायसंघों के सदस्य पुनर्बीमाकृत के साथ संविदा करते हैं;
 - iii. प्रीमियमों का संग्रहण व्यवसायसंघ के स्तर पर किया जाता है तथा उस व्यवसायसंघ के लिए धारित प्रीमियम न्यास निधियों में उन्हें ले जाया जाता है;
 - iv. जावक पुनर्बीमा का स्थापन और वसूलियों का संग्रहण व्यवसायसंघ के स्तर पर किया जाता है;
 - v. व्यवसाय के संचालन के साथ संबद्ध व्ययों को व्यवसायसंघ के स्तर पर ही उपगत और अदा किया जाता है;
 - vi. देयताओं का भुगतान व्यवसायसंघ के स्तर पर किया जाता है;
 - vii. अधिशेषों का निर्धारण व्यवसायसंघ के स्तर पर किया जाता है;
 - viii. नकदी की माँग (कैश कॉल्स) व्यवसायसंघ के स्तर पर की जाती है;
 - ix. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली अन्य कोई अपेक्षा।

34. लॉयड्स इंडिया में जोखिम-अंकन करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण

(क) लॉयड्स इंडिया के व्यवसायसंघ अनुबंध "2" में दिये गये फार्मेट में लॉयड्स इंडिया के माध्यम से प्राधिकरण को सेवा कंपनियों के साथ ही आवेदन करेंगे।

(ख) लॉयड्स इंडिया के व्यवसायसंघ के पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की प्रक्रिया, आवेदन पर विचार और उनके आचरण को नियंत्रित करनेवाली शर्तें उपर्युक्त विनियम 31, 32 और 33 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगी।

35. लॉयड्स इंडिया में जोखिम-अंकन करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण

(क) कोई भी व्यवसायसंघ लॉयड्स इंडिया के माध्यम से पंजीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए आवेदन कर सकता है।

(ख) प्राधिकरण वर्तमान संविदाओं की सर्विसिंग सहित, मामले के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्पण के लिए अनुरोध पर विचार कर सकता है और आवश्यक आदेश पारित कर सकता है।

अध्याय VII**लॉयड्स इंडिया के पास जोखिम रखनेवाले बीमा दलाल****36. लॉयड्स इंडिया के पास जोखिम रखने हेतु बीमा दलाल बनने के लिए मानदंड**

- (क) केवल वे ही दलाल लॉयड्स इंडिया के लिए कार्य कर सकते हैं जिन्हें सम्मिश्र अथवा पुनर्बीमा दलालों के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो।
- (ख) लॉयड्स इंडिया के साथ संबद्ध बीमा दलालों की कार्य-पद्धति आईआरडीए की (बीमा दलाल) विनियम, 2013 से नियंत्रित होगी।

अध्याय VIII**शुल्क का भुगतान और उसकी विधि****I. लॉयड्स इंडिया****37. वार्षिक शुल्क –**

(1) लॉयड्स इंडिया जिसे अधिनियम की धारा 3 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दिसंबर के 31वें दिन तक प्राधिकरण को एक वार्षिक शुल्क का भुगतान करेगा।

(2) उक्त वार्षिक शुल्क वह होगा जो निम्नलिखित में से उच्चतर होगा

(क) पाँच लाख रुपये, अथवा

(ख) अधिकतम दस करोड़ रुपये के अधीन, जिस वर्ष में वार्षिक शुल्क का भुगतान अपेक्षित है, उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में स्वीकृत विकल्पी (फैकल्टेटिव) पुनर्बीमा के संबंध में कुल प्रीमियम के एक प्रतिशत का बीसवाँ भाग।

38. (1) यदि लॉयड्स इंडिया वार्षिक शुल्क का भुगतान विनियम 37 में विनिर्दिष्ट तारीख से पहले जमा नहीं करता, तो प्राधिकरण दंड के रूप में निम्न प्रकार से अतिरिक्त शुल्क के साथ वार्षिक शुल्क का भुगतान स्वीकार कर सकता है:

क. यदि भुगतान विनिर्दिष्ट तारीख से 30 दिन के अंदर किया जाता है तो वार्षिक शुल्क का दो प्रतिशत।

ख. यदि भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले किया जाता है तो शुल्क का दस प्रतिशत।

(2) जहाँ लॉयड्स इंडिया शुल्क का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले नहीं करता, वहाँ पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त किये जाने की संभावना होगी।

39. शुल्क के भुगतान की विधि – उक्त वार्षिक शुल्क भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के खाते में अदा किया जाएगा। वार्षिक शुल्क का विप्रेषण किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किये गये हैदराबाद में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा अथवा किसी भी मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण विधि से किया जाएगा।

40. प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) का निर्गम.- प्राधिकरण, पाँच हजार रुपये का शुल्क प्राप्त होने पर लॉयड्स इंडिया को पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी कर सकता है, यदि लॉयड्स इंडिया फार्म आईआरडीएआई/लॉयड्स/आर4 में प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करे।

II. लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनी और व्यवसायसंघ

41. नवीकरण शुल्क – सेवा कंपनी अपने नाम और उस व्यवसायसंघ (उन व्यवसायसंघों), जिसका/ जिनका प्रतिनिधित्व वह कर रही है, के नाम से युक्त अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय पचास हजार रुपये का शुल्क अदा करेगी।

42. नवीकरण शुल्क के भुगतान की विधि – नवीकरण शुल्क के भुगतान की विधि विनियम 38 में विनिर्दिष्ट रूप में होगी।

43. प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) का निर्गम – प्राधिकरण पाँच हजार रुपये का शुल्क प्राप्त होने पर सेवा कंपनी को प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी कर सकता है।

अध्याय – IX

चूक (डिफॉल्ट) की स्थिति में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

44. प्रमाणपत्र का निलंबन अथवा निरसन - अधिनियम के उपबंधों के अधीन लगाये जानेवाले किसी भी दंड अथवा की जानेवाली किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त लॉयड्स इंडिया अथवा सेवा कंपनी अथवा व्यवसायसंघ का पंजीकरण जो –

- (क) पॉलिसीधारकों अथवा अध्यर्पण करनेवाले (सीडिंग) बीमाकर्ताओं के हितों के लिए प्रतिकूल तरीके से अपना व्यवसाय संचालित करता है;
- (ख) अपने पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करता;
- (ग) अधिनियम के अधीन अथवा प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करता;
- (घ) प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी जाँच-पड़ताल में सहयोग नहीं करता;
- (ङ) पुनर्बीमा व्यवसाय के अंतर्गत छल-कपट करने में लिप्त है;
- (च) अनुचित व्यापार कार्य-प्रणालियों में लिप्त है;
- (छ) किसी भी समय, अपनी देयताओं की राशि की तुलना में अपनी परिसंपत्तियों के मूल्य के आधिक्य के संबंध में धारा 64वीए के उपबंधों का पालन नहीं करता;
- (ज) परिसमापन की स्थिति में है अथवा एक दिवालिये के रूप में न्यायनिर्णीत है;
- (झ) यदि प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना व्यवसाय अथवा व्यवसाय का एक वर्ग किसी व्यक्ति को हस्तांतरित किया गया है अथवा किसी अन्य बीमाकर्ता को हस्तांतरित किया गया है अथवा किसी अन्य बीमाकर्ता के व्यवसाय के साथ समामेलित किया गया है;
- (ञ) अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा किसी विनियम अथवा किसी आदेश अथवा उसके अधीन जारी किये गये किसी निदेश की किसी अपेक्षा का पालन करने में चूक करता है, अथवा उसका उल्लंघन करते हुए कार्य करता है;
- (ट) बीमा व्यवसाय अथवा किसी निर्धारित व्यवसाय को छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय करता है;
- (ठ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी निदेश अथवा दिये गये किसी आदेश का पालन करने में चूक करता है;
- (ड) साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 अथवा धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की किसी भी अपेक्षा का पालन करने में चूक करता है अथवा उसका उल्लंघन करते हुए कार्य करता है;
- (ढ) वार्षिक शुल्क, अथवा नवीकरण शुल्क अदा नहीं करता;
- (ण) फ़िलहाल प्रचलित किसी कानून के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है; पुनर्बीमा व्यवसाय की उस श्रेणी के लिए ऐसी अवधि के लिए निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है जैसा कि प्राधिकरण द्वारा एक आदेश से विनिर्दिष्ट किया जा सकता है;

वशर्ते कि प्राधिकरण ऊपर उल्लिखित प्रकार की पुनरावृत्त चूकों की स्थिति में लिखित में रिकार्ड किये जानेवाले कारणों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरसन का दंड लागू कर सकता है।

लॉयड्स इंडिया के मामले में प्राधिकरण पहले से किये गये पंजीकरण को रोक रख सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि लॉयड्स को पुनर्विमा व्यवसाय करने से उसके स्वदेश के द्वारा कानून अथवा व्यवहार द्वारा विवर्जित (डिबार) किया गया है।

45. प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन का आदेश बनाने की विधि – इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जाँच आयोजित किये बिना निलंबन अथवा निरसन का कोई आदेश लागू नहीं किया जाएगा।

46. निलंबन अथवा निरसन के पहले जाँच आयोजित करने की विधि- (1) विनियम 45 के अधीन जाँच आयोजित करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण एक जाँच अधिकारी को नियुक्त कर सकता है।

(2) जाँच अधिकारी लॉयड्स इंडिया अथवा सेवा कंपनी अथवा व्यवसायसंघ को उसके व्यवसाय के प्रधान स्थान पर एक नोटिस जारी करेगा।

(3) लॉयड्स इंडिया अथवा सेवा कंपनी अथवा व्यवसायसंघ ऐसी नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अंदर ऐसे दस्तावेजी अथवा अन्य साक्ष्य, जिसपर वह निर्भर है अथवा जो प्राधिकरण द्वारा माँगा गया है, की प्रतिलिपियों के साथ एक उत्तर जाँच अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(4) जाँच अधिकारी लॉयड्स इंडिया अथवा सेवा कंपनी अथवा व्यवसायसंघ को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक उचित अवसर देगा ताकि वह उप-विनियम (3) के अंतर्गत दिये गये अपने उत्तर के समर्थन में निवेदन कर सके।

(5) यदि आवश्यक समझा जाता है तो जाँच अधिकारी प्राधिकरण से उसका मामला प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए कह सकता है।

(6) लॉयड्स इंडिया अथवा सेवा कंपनी अथवा व्यवसायसंघ किसी प्राधिकृत कर्मचारी अथवा उसके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

परंतु यह शर्त होगी कि जाँच में लॉयड्स इंडिया अथवा सेवा कंपनी अथवा व्यवसायसंघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अधिवक्ता को अनुमति नहीं दी जाएगी।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि जहाँ उप-विनियम (5) के अधीन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में प्राधिकरण द्वारा एक अधिवक्ता नियुक्त किया गया हो, वहाँ लॉयड्स इंडिया अथवा सेवा कंपनी अथवा व्यवसायसंघ के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह अपना मामला एक अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करे।

(7) जाँच अधिकारी सभी संबंधित तथ्यों और लॉयड्स इंडिया अथवा सेवा कंपनी अथवा व्यवसायसंघ द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखने के बाद प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा दिये जाने के लिए दंड की सिफारिश करेगा और प्रस्तावित दंड का औचित्य भी प्रतिपादित करेगा।

47. कारण बताओ नोटिस और आदेश :- (1) जाँच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्राधिकरण उसपर विचार करेगा तथा यदि उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए तो एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि उसके द्वारा उपयुक्त समझी जानेवाली कार्रवाई क्यों नहीं प्रारंभ की जानी चाहिए।

(2) लॉयड्स इंडिया अथवा सेवा कंपनी अथवा व्यवसायसंघ उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन के अंदर प्राधिकरण को उत्तर प्रेषित करेगा।

(3) प्राधिकरण उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर, यदि प्राप्त होता है, पर विचार करने के बाद यथाशीघ्र, परंतु उत्तर, यदि कोई हो, की प्राप्ति से तीस दिन के अंदर ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उपयुक्त समझेगा। यदि नोटिस देने के 90 दिन के अंदर लॉयड्स इंडिया अथवा सेवा कंपनी अथवा व्यवसायसंघ द्वारा प्राधिकरण को कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण इस विषय में एकपक्षीय तौर पर निर्णय करने के लिए अग्रसर हो सकता है।

(4) उप-विनियम (3) के अधीन पारित किये गये आदेश के साथ उस आदेश के द्वारा लगाये गये दंड के औचित्य सहित, उसके लिए कारण दिये जाएँगे।

(5) प्राधिकरण उप-विनियम (3) के अधीन जारी किये गये आदेश की एक प्रति लॉयड्स इंडिया अथवा सेवा कंपनी अथवा व्यवसायसंघ को प्रेषित करेगा।

48. प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन का प्रभाव – प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन की तारीख को और उस तारीख से लॉयड्स इंडिया अथवा सेवा कंपनी अथवा व्यवसायसंघ नया पुनर्बीमा व्यवसाय करना समाप्त करेगा।

49. आदेश का प्रकाशन – विनियम 47 के उप-विनियम (3) के अधीन पारित प्राधिकरण का आदेश उस क्षेत्र में जहाँ लॉयड्स इंडिया अथवा सेवा कंपनी अथवा व्यवसायसंघ के व्यवसाय का प्रधान स्थान है, कम से कम दो दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

अध्याय X

लॉयड्स इंडिया के परिचालन

50. लॉयड्स इंडिया से संबंधित परिचालनगत विषय:

आवेदक जिसे लॉयड्स इंडिया के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, यह सुनिश्चित करेगा कि हर समय निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा तथा प्राधिकरण को अपने निदेशक बोर्ड अथवा आवेदक के प्रबंधन की कार्यकारिणी समिति, जैसी स्थिति हो, का आवश्यक अनुमोदन प्रस्तुत करेगा:

1. **भौगोलिक विस्तार** – लॉयड्स इंडिया के व्यवसायसंघ अपनी सेवा कंपनी के माध्यम से अपने द्वारा निर्धारित जोखिम-अंकन नीति के अनुसार भारतीय बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय एवं भारत के बाहर पुनर्बीमा व्यवसाय करेंगे।
2. **समनुदेशित पूँजी** – (क) लॉयड्स इंडिया की समनुदेशित पूँजी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते समय विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी। इस राशि का निवेश समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।

(ख) इसके अतिरिक्त, लॉयड्स इंडिया के व्यवसायसंघ अपनी सेवा कंपनी के माध्यम से, पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते समय विनिर्दिष्ट समनुदेशित पूँजी बनाये रखेंगे जिसका निवेश समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।

3. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लॉयड्स इंडिया और व्यवसायसंघों का प्रतिनिधित्व करने वाली सेवा कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति** – (क) लॉयड्स मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लॉयड्स इंडिया की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, बरखास्तगी और उसको देय प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में प्राधिकरण का पूर्व- अनुमोदन प्राप्त करेगा। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 'योग्यता और उपयुक्तता' (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों को पूरा करेगा।

(ख) सेवा कंपनी के प्रमुख कार्मिकों का विवरण उनके जीवनवृत्त (बायोडेटा) सहित पंजीकरण की प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसके बाद होनेवाला कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा। इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए प्रमुख प्रबंध कार्मिकों के अंतर्गत व्यवसायसंघ (व्यवसायसंघों) की सेवा कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य जोखिम-अंकनकर्ता (अंडरराइटर) शामिल होंगे।

4. **बाह्य स्रोत का उपयोग (आउटसोर्सिंग):** लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनी जोखिम-अंकन, दावों का निपटान और विनियामक अनुपालन जैसे मुख्य कार्यकलाप अपने पास रख सकती है; तथा बैंक-ऑफिस सर्विसिंग, निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), लेखा, विपणन, मानव संसाधन, प्रशासन और प्रचार जैसे कार्यों के लिए बाह्य स्रोतों का उपयोग

(आउटसोर्सिंग) कर सकता है। प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के बिना किसी भी अन्य कार्य का आउटसोर्सिंग नहीं किया जा सकता।

5. लेखांकन – लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनियाँ लॉयड्स इंडिया के माध्यम से व्यवसायसंघों के लेखा-विवरण सहित वित्तीय विवरणियाँ समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2002 में विनिर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत करेंगी।
6. निवेश – लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनियाँ लॉयड्स इंडिया के माध्यम से व्यवसायसंघ की निवेशयोग्य परिसंपत्तियों का निवेश आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 के अनुसार करेंगी और उन्हें निवेशित रूप में बनाये रखेंगी, जहाँ तक ये विनियम भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए लागू हैं।

इन विनियमों के प्रयोजन के लिए 'निवेशयोग्य परिसंपत्तियों' के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं

- क. भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय से उत्पन्न होनेवाली देयताओं के अनुरूप परिसंपत्तियाँ अथवा भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय की देश में रखी जाने वाली प्रीमियम की राशि, जो भी अधिक हो, और
- ख. प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये शोधक्षमता (सॉल्वेन्सी) विनियमों के अनुसार गणना की गई ऋण-शोधन क्षमता का मार्जिन।

7. पुनर्बीमा और पञ्चगमन (रिट्रोसेशन):- (क) लॉयड्स इंडिया के व्यवसायसंघ उन्हीं पुनर्बीमा विनियमों के अधीन होंगे जो भारतीय बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता के लिए लागू हैं।

(ख) यदि लॉयड्स इंडिया को विनियम 8(क) के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, तो

- i) प्रत्येक व्यवसायसंघ भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय के 50% का न्यूनतम प्रतिधारण बनाये रखेगा।
- ii) जो व्यवसायसंघ 50% की न्यूनतम प्रतिधारण सीमा बनाये नहीं रखेगा, नीचे खंड (घ) में दी गई दंडात्मक कार्रवाई के बावजूद, श्रेणी-II में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकरण का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- iii) व्यवसायसंघ जिसे उपर्युक्त खंड 8(ख)(ii) के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया हो, भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध रूप में भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा अध्यक्षों (सेशन्स) के लिए अधिमानता-क्रम के लिए 3 वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक उक्त व्यवसायसंघ उक्त 50% की न्यूनतम प्रतिधारण सीमा से छूट माँगते हुए आवेदन प्रस्तुत कर प्राधिकरण का विशिष्ट पूर्व-अनुमोदन प्राप्त नहीं करता।

(ग) यदि लॉयड्स इंडिया को विनियम 8(ख) के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, तो

- i) प्रत्येक व्यवसायसंघ भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय के 30% का न्यूनतम प्रतिधारण बनाये रखेगा।
 - ii) जो व्यवसायसंघ 30% की न्यूनतम प्रतिधारण सीमा को बनाये नहीं रखता, वह नीचे खंड (घ) में दी गई दंडात्मक कार्रवाई के बावजूद, 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय बीमा कंपनियों से नये पुनर्बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन नहीं करेगा, जब तक उक्त व्यवसायसंघ उक्त 30% की न्यूनतम प्रतिधारण सीमा से छूट माँगते हुए आवेदन प्रस्तुत कर प्राधिकरण का विशिष्ट पूर्व-अनुमोदन प्राप्त नहीं करता।
- (घ) विनिर्दिष्ट सीमाओं के किसी भी उल्लंघन को विनियमों के उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा तथा इससे लॉयड्स इंडिया और व्यवसायसंघ बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में दंडात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।

8. भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा अध्यक्षों (सेशन्स) के लिए अधिमान-क्रम – प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता अधिमान-क्रम में अपने विकल्पी (फैकल्टेटिव) और समझौता (ट्रीटी) अधिशेषों में सहभागिता के लिए लॉयड्स इंडिया को आईआरडीएआई (लॉयड्स को छोड़कर विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन)

विनियम, 2015 के विनियम 28(9) में दिये गये रूप में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों के समान प्रस्ताव करेगा:

9. शोधक्षमता (साल्वेन्सी) मार्जिन – लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनियाँ समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं की परिसंपत्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता) विनियम, 2000 में विनिर्दिष्ट किये गये तरीके से व्यवसायसंघों की परिसंपत्तियों, देयताओं और शोधक्षमता मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं का विवरण तैयार करेंगी और लॉयड्स इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी।
10. अधिशेष का प्रत्यावर्तन – लॉयड्स इंडिया के व्यवसायसंघों के परिचालनों द्वारा उत्पन्न किये गये अधिशेष का प्रत्यावर्तन केवल प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन से ही किया जाएगा। इस प्रकार का अनुमोदन प्रदान करने से पहले प्राधिकरण संबंधित समस्त सूचना प्राप्त करेगा तथा इस बात से स्वयं संतुष्ट होगा कि लॉयड्स इंडिया के व्यवसायसंघों की परिसंपत्तियाँ उनकी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त, अधिशेष का प्रत्यावर्तन, जैसा लागू हो, भारतीय रिज़र्व बैंक/ फेमा की अन्य अपेक्षाओं का पालन करेगा।
11. प्रत्यायोजित प्राधिकार: लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों और जाँच-पड़ताल का प्रबंध करेगी कि जिन व्यवसायसंघों का प्रतिनिधित्व वह करती है उनके संबंध में प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा विवेकपूर्ण और युक्तियुक्त रूप से किया जाए तथा भारत में परिचालन पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो। लॉयड्स और लॉयड्स इंडिया अधिकारियों की प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा भी प्रत्येक सेवा कंपनी और व्यवसायसंघ के स्तर पर करेंगे जहाँ तक स्थानीय परिचालनगत अपेक्षाओं और प्रत्यायोजित प्राधिकार को पूरा करने के लिए ऐसी शक्तियों की पर्याप्तता का संबंध है। इस प्रकार की समीक्षा की एक प्रति वार्षिक तौर पर प्राधिकरण के पास दाखिल की जाएगी।
12. पर्यवेक्षण और नियंत्रण: लॉयड्स और लॉयड्स इंडिया, सेवा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई आवधिक समीक्षाओं की प्रणाली सहित सभी नियंत्रण संबंधी विवरणियों की समीक्षा करेंगे जिससे प्रभावी पर्यवेक्षण और नियंत्रण तथा व्यवसायसंघों की निरंतर अर्थक्षमता को सुनिश्चित किया जा सके। निरीक्षण/ लेखा-परीक्षा/ संवीक्षा के निष्कर्षों के सारांश तथा लॉयड्स इंडिया द्वारा प्रस्तुत और लॉयड्स की लेखा-परीक्षा समिति को प्रस्तुत किये गये अनुपालन की एक प्रति भी प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।
13. अन्य विषय: लॉयड्स इंडिया अपने स्वदेश के विनियमनकर्ता द्वारा की गई किसी भी विनियामक अथवा पर्यवेक्षी कार्रवाई की सूचना प्राधिकरण को तत्काल पूरे विवरण और लागू किये गये दंड अथवा किसी प्रशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो, तथा उसकी पुनरावृत्ति के निवारण के लिए लॉयड्स द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई के ब्योरे के साथ देगा।
14. व्यवसायसंघों द्वारा लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनी के माध्यम से प्राधिकरण को सूचना देने की अपेक्षाएँ– लॉयड्स इंडिया यथानिर्धारित रूप में प्राधिकरण को निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा।
 - i. वित्तीय सूचना
 - ii. बीमांकिक (ऐक्चुएरियल) सूचना
 - iii. व्यवसाय संबंधी सूचना
 - iv. ग्रेड कम होने (डाउनग्रेडिंग) की सूचना: लॉयड्स इंडिया अंतरराष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग में ग्रेड कम करने की कोई भी सूचना प्राधिकरण को संबंधित दस्तावेजों के साथ तत्काल देगा।
 - v. निवल स्वाधिकृत निधि में कमी: आवेदक की निवल स्वाधिकृत निधि में 5% से अधिक गिरावट की सूचना लॉयड्स इंडिया प्राधिकरण को तत्काल देगा।
15. विवरणियाँ: प्राधिकरण लॉयड्स इंडिया अथवा सेवा कंपनी अथवा लॉयड्स द्वारा ऐसी किसी अन्य विवरणी की प्रस्तुति, जैसा वह उपयुक्त समझे, विनिर्दिष्ट कर सकता है।
16. प्राधिकरण की अतिरिक्त शक्तियाँ
 - क. लॉयड्स इंडिया अथवा लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनी अथवा लॉयड्स इंडिया के व्यवसायसंघ (व्यवसायसंघों) से किसी भी दस्तावेज, अभिलेख अथवा पत्रादि की माँग, निरीक्षण अथवा जाँच करने का अधिकार प्राधिकरण के पास होगा।

- ख. उपर्युक्त के बावजूद, जहाँ प्राधिकरण की राय है कि लॉयड्स इंडिया अथवा लॉयड्स इंडिया की सेवा कंपनी अथवा लॉयड्स इंडिया के व्यवसायसंघ (व्यवसायसंघों) के परिचालन भारतीय बीमा बाजार के हित में नहीं हैं, वहाँ लॉयड्स को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का अवसर देने के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन सहित उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।
- ग. प्राधिकरण के अनुमोदन से खोले गये लॉयड्स इंडिया के किसी भी व्यवसायसंघ अथवा सेवा कंपनी को केवल प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन से ही बंद किया जाएगा।
- घ. लॉयड्स, जिसका भारत में प्रतिनिधि कार्यालय है तथा जिसे शाखा कार्यालय के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, उक्त प्रतिनिधि कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से छह महीने के अंदर बंद करेगा।
- ङ. स्पष्टीकरण जारी करने के लिए प्राधिकरण का अधिकार: इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने के संबंध में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष समय-समय पर उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

फार्म आईआरडीएआई/लॉयड्स/आर1

[लॉयड्स इंडिया के लिए पंजीकरण आवेदन हेतु माँग-पत्र]

1. आवेदक का नाम:
2. पता:
3. आवेदक के संस्थापन की तारीख: [दिन/ माह/ वर्ष]
4. पंजीकरण संख्या: (विदेश के विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्गत):
5. पुनर्बीमा व्यवसाय की श्रेणी: जीवन/ साधारण/ सम्मिश्र
6. भारतीय बीमाकर्ताओं के अध्यर्पणों (सेशनस) के अधिमान-क्रम हेतु आवेदित श्रेणी:
[] श्रेणी-I / [] श्रेणी-II
7. प्राधिकृत पूँजी की राशि अथवा उसकी समतुल्य राशि और अभिदत्त राशि:
8. लॉयड्स इंडिया के कार्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति(यों) का नाम, पता और संपर्क का विवरण।
9. विनियामक प्राधिकरण का नाम, पता और संपर्क का विवरण, जहाँ आवेदक पंजीकृत है।
10. आवेदक की _____ को यथाविद्यमान (नवीनतम वित्तीय वर्ष)..... निवल स्वाधिकृत निधियाँ (एनओएफ)।
11. अंतरराष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से प्राप्त पिछले 3 वर्षों के लिए क्रेडिट रेटिंग।
12. उन वर्षों की संख्या जब आवेदक विदेशी पुनर्बीमा व्यवसाय में सक्रिय रहा है।
13. लॉयड्स इंडिया स्थापित करने के लिए स्वीकृति देते हुए स्वदेश के विनियमनकर्ता से प्राप्त अनुमति
14. स्वदेश के विनियमनकर्ता द्वारा निर्धारित न्यूनतम शोधक्षमता (सॉल्वेन्सी) मार्जिन
15. आवेदक का शोधक्षमता मार्जिन
16. शोधक्षमता मार्जिन का परिकलन करने का आधार
17. लॉयड्स का विवरण:

[कृपया पूरा नाम, पता, विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की प्रदत्त पूँजी में धारिता का प्रतिशत, व्यवसाय, अर्हताएँ और अनुभव, कंपनी में धारित शेयरों की संख्या और शेयर पूँजी का प्रतिशत दें] यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें। आवेदक की प्रदत्त पूँजी के 1% से अधिक अथवा उसकी समतुल्य राशि धारित करनेवाले व्यक्तियों का विवरण दिया जाना चाहिए।]

पूरा नाम [प्रथम, मध्य, कुलनाम]	जन्म- तिथि	पता, टेलीफोन नं., फैक्स नं., ई-मेल सहित	अर्हताएँ	अनुभव	वर्तमान व्यवसाय	इक्विटी (मताधिकार) शेयरों की संख्या और कुल धारिता का प्रतिशत	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्री/सुश्री							

टिप्पणी: यदि शेयरधारक/ अभिदाता विदेश में पंजीकृत कंपनी अथवा निगमित निकाय है, तो कंपनी अथवा निगमित निकाय का नाम स्तंभ (1) में दें, संस्थापन का देश और पंजीकरण की तारीख स्तंभ (2) में दें, कंपनी के परिचालन-क्षेत्रों का उल्लेख स्तंभ (5) में करें, स्तंभ (4) और (6) खाली छोड़ें; पिछले 5 वर्षों के लिए कंपनी अथवा निगमित निकाय के लेखा-विवरण संलग्न करते हुए, परिचालन के देश और व्यवसाय का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए विवरण दिया जाए। सत्यनिष्ठापूर्वक पूरी और संपूर्ण सूचना देने के लिए पर्याप्त ध्यान रखा जाए। यदि बाद में कोई गलत विवरण पाया जाता है तो उसके कारण आवेदक को अयोग्य ठहराया जाएगा।

18. लॉयड्स के सदस्यों का विवरण:

[कृपया पूरा नाम, पता, विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की प्रदत्त पूँजी में धारिता का प्रतिशत, व्यवसाय, अर्हताएँ और अनुभव, कंपनी में धारित शेयरों की संख्या और शेयर पूँजी का प्रतिशत दें] यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें। आवेदक की प्रदत्त पूँजी के 1% से अधिक अथवा उसकी समतुल्य राशि धारित करनेवाले व्यक्तियों का विवरण दिया जाना चाहिए।

पूरा नाम [प्रथम, मध्य, कुलनाम]	जन्म- तिथि	पता, टेलीफोन नं., फैक्स नं., ई-मेल सहित	अर्हताएँ	अनुभव	वर्तमान व्यवसाय	इक्विटी (मताधिकार) शेयरों की संख्या और कुल धारिता का प्रतिशत	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्री/सुश्री							

टिप्पणी: यदि शेयरधारक/ अभिदाता विदेश में पंजीकृत कंपनी अथवा निगमित निकाय है, तो कंपनी अथवा निगमित निकाय का नाम स्तंभ (1) में दें, संस्थापन का देश और पंजीकरण की तारीख स्तंभ (2) में दें, कंपनी के परिचालन-क्षेत्रों का उल्लेख स्तंभ (5) में करें, स्तंभ (4) और (6) खाली छोड़ें; पिछले 3 वर्षों के लिए कंपनी अथवा निगमित निकाय के लेखा-विवरण संलग्न करते हुए, परिचालन के देश और व्यवसाय का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए विवरण दिया जाए। सत्यनिष्ठापूर्वक पूरी और संपूर्ण सूचना देने के लिए पर्याप्त ध्यान रखा जाए। यदि बाद में कोई गलत विवरण पाया जाता है तो उसके कारण आवेदक को अयोग्य ठहराया जाएगा।

19. आवेदक: इस खंड में पृष्ठभूमि संबंधी सूचना निर्दिष्ट की जाए। निम्नलिखित जानकारी शामिल की जानी चाहिए:

- आवेदक का विवरण (उदा. कंपनी का नाम, पता, निदेशकों के नाम आदि)
- व्यवसाय का स्वरूप, आवेदक के व्यवसाय में वर्ष।
- आवेदक के संबंध में विनियामक हस्तक्षेप/ प्रतिबंधात्मक निदेशों का पिछला रिकॉर्ड।
- पुनर्बीमा बाजार में प्रवेश करने के लिए आवेदक के कारण।
- पिछले पाँच वर्षों के लिए वित्तीय विवरण। आवेदक की क्षमताएँ।
- आवेदन प्रस्तुत करने के वर्ष को छोड़कर पिछले 3 वर्षों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दिये गये रेटिंग।
- आवेदक द्वारा दर्शाया गया भारतीय बाजार स्थान के प्रति प्रतिबद्धता की मात्रा का निर्देशन।
- आवेदक द्वारा लिये गये दायित्व।

20. लॉयड्स इंडिया का विवरण

इस खंड में लॉयड्स इंडिया के मुख्य पहलू दिये जाएंगे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होंगे:

- लॉयड्स इंडिया का नाम:
- पत्रादि के लिए पता (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता और ऐसा अन्य विवरण दें) :
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा दायित्वों का आबंटन (प्रस्तावित)
- संगठनात्मक संरचना। रिपोर्टिंग संबंध।
- व्यवसायसंघों के सदस्यों का विवरण जो सेवा कंपनियों और लॉयड्स इंडिया को प्राधिकार प्रत्यायोजित करते हैं :

[कृपया पूरा नाम, पता, विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की प्रदत्त पूँजी में धारिता का प्रतिशत, व्यवसाय, अर्हताएँ और अनुभव, कंपनी में धारित शेयरों की संख्या और शेयर पूँजी का प्रतिशत दें] यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें। आवेदक की प्रदत्त पूँजी के 1% से अधिक अथवा उसकी समतुल्य राशि धारित करनेवाले व्यक्तियों का विवरण दिया जाना चाहिए।

पूरा नाम [प्रथम, मध्य, कुलनाम]	जन्म- तिथि	पता, टेलीफोन नं., फैक्स नं., ई-मेल सहित	अर्हताएँ	अनुभव	वर्तमान व्यवसाय	इक्विटी (मताधिकार) शेयरों की संख्या और कुल धारिता का प्रतिशत	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्री/सुश्री							

टिप्पणी: यदि शेयरधारक/ अभिदाता विदेश में पंजीकृत कंपनी अथवा निगमित निकाय है, तो कंपनी अथवा निगमित निकाय का नाम स्तंभ (1) में दें, संस्थापन का देश और पंजीकरण की तारीख स्तंभ (2) में दें, कंपनी के परिचालन-क्षेत्रों का उल्लेख स्तंभ (5) में करें, स्तंभ (4) और (6) खाली छोड़ें; पिछले 5 वर्षों के लिए कंपनी अथवा निगमित निकाय के लेखा-विवरण संलग्न करते हुए, परिचालन के देश और व्यवसाय का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए विवरण दिया जाए। सत्यनिष्ठापूर्वक पूरी और संपूर्ण सूचना देने के लिए पर्याप्त ध्यान रखा जाए। यदि बाद में कोई गलत विवरण पाया जाता है तो उसके कारण आवेदक को अयोग्य ठहराया जाएगा।

21. पूँजी विन्यास

- समनुदेशित पूँजी की राशि:

22. आवेदक के निदेशकों, लॉयड्स इंडिया का पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति तथा लॉयड्स इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति) का विवरण:

विवरण अलग शीटों में प्रस्तुत करें, प्रोफार्मा नीचे दिया गया है:-

- नाम (और कोई पिछले नाम)
- निजी और व्यावसायिक पता (पिछले 15 वर्षों के अंदर किन्हीं अन्य निजी पतों सहित), वर्तमान टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल पते:
- जन्म की तारीख और स्थान
- राष्ट्रियता (और कोई पिछली राष्ट्रियता)
- पासपोर्ट / पहचान पत्र:
 - संख्या
 - जारी करने की तारीख और स्थान
 - समाप्ति की तारीख
 - जारी करनेवाला प्राधिकारी:
- बैंक का नाम और पता:
 - खातों की संख्याएँ और खाते का प्रकार:
 - कंपनी को अथवा कंपनी की ओर से दिये गये किन्हीं ऋणों अथवा गारंटियों का विवरण जिनमें निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों का प्रबंधकीय अथवा शेयरधारिता संबंधी हित हो
- परिवार की स्थिति
- शैक्षिक अर्हताओं का विवरण और तारीखें:
- व्यावसायिक अर्हता का विवरण और तारीखें:
- प्रत्याशित स्थिति का विवरण (दायित्वों सहित) और प्रारंभ की प्रस्तावित तारीख:
- कार्य अनुभव:
 - वर्तमान और पूर्ववर्ती नियोजक (पिछले 15 वर्षों को शामिल करते हुए)
 - क्या निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों और / या उनके नियोजकों का औपचारिक रूप से पर्यवेक्षण अथवा विनियमन किया गया है, इसका विवरण
 - नियोजक के व्यवसाय का स्वरूप
 - पदनाम: (कर्तव्यों और दायित्वों सहित)
 - नियुक्ति की तारीख
 - त्यागपत्र/ प्रस्थान की तारीख
 - पिछले 15 वर्षों में अन्य व्यावसायिक हितों का विवरण जहाँ निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक कार्यरत शेयरधारक, निदेशक अथवा नियंत्रक रहे हों।
- कंपनी अथवा संबंधित कंपनियों अथवा दूसरे अन्य पक्षकारों के साथ संबंध:-
 - कंपनी, अथवा संबंधित कंपनियों अथवा अन्य पक्षकारों में शेयरधारिता अथवा मताधिकारों का विवरण:
 - कंपनी अथवा संबंधित कंपनियों अथवा अन्य पक्षकारों के साथ किन्हीं व्यावसायिक संबंधों का विवरण:
 - निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों के भूतपूर्व नियोजकों एवं कंपनी अथवा संबंधित कंपनियों अथवा अन्य पक्षकारों के बीच किन्हीं व्यावसायिक संबंधों का विवरण:
- निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों की प्रतिष्ठा और आचरण संबंधी पूरा विवरण:-
 - क्या आवेदक को कभी दिवालिया घोषित किया गया है;
 - धोखाधड़ी अथवा अन्य बेईमानी से संबद्ध रूप में किसी अपराध की कोई दोषसिद्धि है;

-निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों को निदेशक के रूप में अथवा किसी कंपनी अथवा संगठन के प्रबंधन में कार्य करने से कभी अयोग्य ठहराया गया है;

-क्या निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों को कभी किसी विनियमित वित्तीय व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस अथवा प्राधिकार देने से अस्वीकृत किया गया है (अथवा उसे वापस लिया गया है);

○किसी सरकारी, विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय द्वारा कोई निंदा की गई है अथवा अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है;

○पद अथवा नियोजन से कोई बरखास्तगी, निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों के नियोजक द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई की अधीनता अथवा किसी व्यवसाय अथवा पेशे में प्रवेश को कभी अस्वीकार किया गया है;

○पिछले 5 वर्षों के दौरान ऐसा कोई मुकदमा रहा है जिसमें निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक संबद्ध रहे हों;

○क्या किसी सरकारी, विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय ने कभी किसी नियोजक, कंपनी अथवा संगठन की जाँच-पड़ताल की है जिसके साथ निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक अथवा शेयरधारक के रूप में संबद्ध रहे हों;

○क्या किसी कंपनी अथवा संगठन, जिसके साथ निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक, शेयरधारक अथवा नियंत्रक के रूप में संबद्ध रहे हों, का कभी समापन किया गया है, कभी वह रिसेवरशिप की स्थिति में आ गया है अथवा जब निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक उसके साथ संबद्ध थे तब अथवा निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों की संबद्धता के समाप्त होने के बाद एक वर्ष के अंदर उसने व्यापार करना समाप्त किया है।

टिप्पणी वाले स्तंभ में कृपया उल्लेख करें कि क्या कोई निदेशक भारत में अथवा किसी विदेश में किसी अन्य बीमा कंपनी (अथवा पुनर्बीमाकर्ता) का एजेंट, दलाल, कोई अन्य मध्यवर्ती, निदेशक अथवा कर्मचारी है अथवा भारत में अथवा किसी विदेश में किसी अन्य कंपनी का निदेशक है।

23. वित्तीय पूर्वानुमान

वित्तीय पूर्वानुमानों और धारणाओं के लिए प्रयुक्त मॉडल का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए (वित्तीय पूर्वानुमान परिचालन प्रारंभ करने से लेकर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किये जाएँ)। इनके अंतर्गत निम्नलिखित को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए:

- व्यवसाय का परिमाण।
- सहायक और प्रशासनिक स्टाफ का आकार।
- प्रीमियम आय।
- निवेश आय।
- कमीशन और अन्य विक्रय संबंधी व्यय।
- प्रशासन संबंधी व्यय।
- आयकर और अन्य कर।
- सांविधिक आरक्षित निधियाँ।
- अपेक्षित शोधक्षमता (साल्वेन्सी) मार्जिन।
- लाभ-हानि लेखे और तुलन-पत्र।
- पूँजीगत आवश्यकताएँ।
- लाभ-अलाभ अवधियाँ और पूँजी पर प्रतिलाभ।

इस खंड में उस तरीके के संबंध में भी चर्चा की जानी चाहिए जिसमें भावी पूँजीगत आवश्यकताएँ पूरी की जाएँगी।

- 24. पिछले आवेदन का विवरण:** क्या आवेदक ने कभी भारत में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है अथवा पंजीकरण के लिए अनुरोध किया है? यदि ऐसा है तो ब्योरा प्रस्तुत करें।
- 25. निष्कर्ष:** निष्कर्ष के तौर पर आवेदन में परिचालनों की व्यवहार्यता/ अर्थक्षमता के संबंध में चर्चा की जानी चाहिए। यदि कोई विशेष विषय अथवा सरोकार हों तो उनके बारे में भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

प्रमाणीकरण

में, अधोहस्ताक्षरकर्ता, सत्यनिष्ठापूर्वक घोषित करता हूँ/करती हूँ कि आवेदक की ओर से इस आवेदनपत्र में दिये गये तथ्य सही हैं तथा यह कि पूर्वानुमान और प्राक्कलन युक्तिसंगत धारणाओं पर आधारित हैं।

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

फार्म आईआरडीएआई/लॉयड्स/आर2

पंजीकरण के लिए आवेदन

- 1. भौगोलिक विस्तार:** कार्यालय का पता दें। कृपया वे देश, अधिकार-क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र प्रस्तुत करें जिन्हें लॉयड्स इंडिया समाविष्ट करेगा।
- 2. बाजार अनुसंधान और विश्लेषण**
आवेदक ने बाजार में विक्रय संभाव्यता का पता लगाने के लिए किसी न किसी रूप में बाजार विश्लेषण किया होगा। आवेदक उक्त अनुसंधान का पूरा विवरण, प्राप्त निष्कर्षों के साथ प्रस्तुत करे।
- 3. प्रस्तावित की जानेवाली पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के प्रकार**
आवेदक पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के उन प्रकारों का विवरण दें, जो वह भारतीय और विदेशी बाजारों के लिए प्रस्तावित करेगा ताकि उसे एक क्षेत्रीय केन्द्र (हब) बनने में समर्थ किया जा सके।
- 4. जोखिम-अंकन**
इस खंड में प्रस्तावों आदि के जोखिम-अंकन के लिए प्रयुक्त दृष्टिकोण का विवरण दिया जाना चाहिए। कृपया आवेदक द्वारा जोखिम-अंकन एवं जोखिम-अंकनकर्ताओं के प्रशिक्षण और स्थानीय व्यक्तियों के कौशल-उन्नयन में उपलब्ध कराई जानेवाली सहायता का स्वरूप भी बताएं।
- 5. निवेश**
आवेदक अपने निवेश दर्शन का विवरण दे जो उन उत्पादों के लिए उपयुक्त होगा जिनका विपणन वह बाजार में करना चाहता है। अन्य सूचना के अंतर्गत निवेश कार्मिक, निवेश परामर्शदाता (यदि आउटसोर्स किया जाता है तो), निवेश परिचालनों का स्थान, प्रयुक्त किये जानेवाले निवेश दलाल, आदि तथा निवेश से संबंधित मानदंड, मूल्यांकन, एक्पोज़र – विवेकपूर्ण – प्रावधानीकरण के मानदंड सम्मिलित किये जाने चाहिए।
- 6. सूचना प्रौद्योगिकी**
बीमा उद्योग बहुत कुछ कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। निम्नलिखित का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए:
 - विभिन्न क्षेत्र जहाँ कंप्यूटर प्रणालियाँ प्रयोग में लाई जाएंगी।
 - प्रणालियों की अंतर-संबद्धता की मात्रा।
 - सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की प्रणालियों का प्रयोग अपेक्षित प्रबंध सूचना प्रणाली को विकसित करने के लिए कैसे किया जाएगा, इसका विवरण।
 - वे कार्यविधियाँ और परिचालन जो अयांत्रिक (मैनुअल) रह जाएंगे।
- 7. प्रतिधारण सीमाएँ और पुनर्बीमा**
निम्नलिखित ब्योरा देते हुए पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के स्वरूप का विवरण पूर्णतः दिया जाना चाहिए:
 - पुनर्बीमे का आधार।
 - पुनर्बीमे की शर्तें।

- लॉयड्स/ लॉयड्स के सदस्यों से पुनर्बिमे की सहायता की विधि।

8. भर्ती और प्रशिक्षण

विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के कौशल की प्रवृत्तियों से युक्त कार्मिकों की आवश्यकता होगी। कुछ विशेष प्रकार के तकनीकी कौशल के लिए विशेष फोकस अपेक्षित होगा। आवेदक को चाहिए कि वह तकनीकी कौशल और ज्ञान का प्रशिक्षण स्थानीय तौर पर देने के लिए अपनी योजनाओं के संबंध में एक विस्तृत आलेख (राइट-अप) प्रस्तुत करे।

9. आंतरिक नियंत्रण

आवेदक को विभिन्न कार्यकलापों के लिए कार्यविधियों और मानदंडों का सेट स्थापित करने की आवश्यकता होगी। किस विधि से इनकी निगरानी की जाएगी, इसका विवरण दिया जाना चाहिए।

10. प्रशासन के व्यय

प्रस्तावित व्यय प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में।

11. तकनीकी कौशल

उन लोगों का तकनीकी कौशल जो लॉयड्स इंडिया में कार्य करेंगे और कंपनी की सेवा करेंगे तथा स्थानीय तौर पर कौशल-उन्नयन हेतु जानकारी देने के लिए योजना।

प्रमाणीकरण

मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता, सत्यनिष्ठापूर्वक घोषित करता हूँ/करती हूँ कि आवेदक की ओर से इस आवेदनपत्र में दिये गये तथ्य सही हैं तथा यह कि पूर्वानुमान और प्राक्कलन युक्तिसंगत धारणाओं पर आधारित हैं।

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

फार्म आईआरडीएआई/लॉयड्स/आर3

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(प्राधिकरण की मुहर)

पंजीकरण प्रमाणपत्र

पंजीकरण संख्या _____

प्रमाणित किया जाता है कि _____ में स्थित लॉयड्स इंडिया को आज के दिन नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट श्रेणियों का व्यवसाय करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2ए) के उपबंधों के अनुसार पंजीकृत किया गया है।

आज _____ दिन, _____ माह, दो हजार _____ को प्राधिकरण की मुहर के अधीन प्रदान किया गया है।

अनुसूची

श्रेणियाँ जिनके संबंध में व्यवसाय किया जा सकता है:-

1. _____
2. _____

स्थान:

दिनांक:

कृते भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

टिप्पणी: यदि शेयरधारक/ अभिदाता विदेश में पंजीकृत कंपनी अथवा निगमित निकाय है, तो कंपनी अथवा निगमित निकाय का नाम स्तंभ (1) में दें, संस्थापन का देश और पंजीकरण की तारीख स्तंभ (2) में दें, कंपनी के परिचालन-क्षेत्रों का उल्लेख स्तंभ (5) में करें, स्तंभ (4) और (6) खाली छोड़ें; पिछले 3 वर्षों के लिए कंपनी अथवा निगमित निकाय के लेखा-विवरण दिये जाएँ।

अनुबंध "2"

आवेदन फार्म – आईआरडीएआई/ लॉयड्स इंडिया सेवा कंपनी और लॉयड्स इंडिया व्यवसायसंघ (सिंडिकेट)

(लॉयड्स इंडिया के माध्यम से आवेदन किया जाए)

1. लॉयड्स इंडिया सेवा कंपनी का विवरण

2. लॉयड्स इंडिया सेवा कंपनी का नाम:
3. पता:
4. आवेदक के संस्थापन की तारीख: [दिन/माह/वर्ष]
5. कंपनी रजिस्ट्रार, भारत द्वारा जारी की गई पंजीकरण संख्या:
6. लॉयड्स इंडिया सेवा कंपनी के एमओए/एओए के मुख्य उद्देश्य:
7. प्राधिकृत पूँजी अथवा उसके समतुल्य राशि और अभिदत्त राशि:
8. सेवा कंपनी के प्रबंध एजेंट / प्रवर्तक द्वारा सक्रिय रहने के वर्षों की संख्या। यदि ऐसा है, तो इसका ब्योरा:
9. प्रबंध एजेंट द्वारा सेवा कंपनी की स्थापना की स्वीकृति देते हुए लॉयड्स से प्राप्त अनुमति अथवा सेवा कंपनी के प्रवर्तक के निदेशक बोर्ड द्वारा पारित बोर्ड संकल्प, जैसा लागू हो:
10. सेवा कंपनी के शेयरधारकों / अभिदाताओं का विवरण:

[कृपया पूरा नाम, पता, प्रबंध एजेंट की प्रदत्त पूँजी में धारिता का प्रतिशत, व्यवसाय, अर्हताएँ और अनुभव, कंपनी में धारित शेयरों की संख्या और शेयर पूँजी का प्रतिशत दें] यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें। आवेदक की प्रदत्त पूँजी के 5% से अधिक अथवा उसकी समतुल्य राशि धारित करनेवाले व्यक्तियों का विवरण दिया जाना चाहिए।

पूरा नाम [प्रथम, मध्य, कुलनाम]	जन्म- तिथि	पता, टेलीफोन नं., फैक्स नं., ई-मेल सहित	अर्हताएँ	अनुभव	वर्तमान व्यवसाय	इक्विटी (मताधिकार) शेयरों की संख्या और कुल धारिता का प्रतिशत	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्री/सुश्री							

टिप्पणी: यदि शेयरधारक/ अभिदाता विदेश में पंजीकृत कंपनी अथवा निगमित निकाय है, तो कंपनी अथवा निगमित निकाय का नाम स्तंभ (1) में दें, संस्थापन का देश और पंजीकरण की तारीख स्तंभ (2) में दें, कंपनी के परिचालन-क्षेत्रों का उल्लेख स्तंभ (5) में करें, स्तंभ (4) और (6) खाली छोड़ें; पिछले 5 वर्षों के लिए कंपनी अथवा निगमित निकाय के लेखा-विवरण संलग्न करते हुए, परिचालन के देश और व्यवसाय का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए विवरण दिया जाए। सत्यनिष्ठापूर्वक पूरी और संपूर्ण

सूचना देने के लिए पर्याप्त ध्यान रखा जाए। यदि बाद में कोई गलत विवरण पाया जाता है तो उसके कारण आवेदक को अयोग्य ठहराया जाएगा।

11. सेवा कंपनी के प्रबंध एजेंट / प्रवर्तक का विवरण, जैसा लागू हो: इस खंड में पृष्ठभूमि संबंधी सूचना निर्दिष्ट की जाए। निम्नलिखित जानकारी शामिल की जानी चाहिए:

- सेवा कंपनी के प्रबंध एजेंट / प्रवर्तक का विवरण, जैसा लागू हो (उदा. कंपनी का नाम, पता, निदेशकों के नाम आदि)
- व्यवसाय का स्वरूप, सेवा कंपनी के प्रबंध एजेंट/ प्रवर्तक के व्यवसाय में वर्ष।
- सेवा कंपनी के प्रबंध एजेंट/ प्रवर्तक के संबंध में विनियामक हस्तक्षेप/ प्रतिबंधात्मक निदेशों का पिछला रिकॉर्ड।
- पिछले पाँच वर्षों के लिए वित्तीय विवरण।
- सेवा कंपनी के प्रबंध एजेंट / प्रवर्तक की क्षमताएँ।

12. सेवा कंपनी का विवरण

इस खंड में सेवा कंपनी के मुख्य पहलू दिये जाएँगे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होंगे:

- सेवा कंपनी का पता:
- पत्रादि के लिए पता (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता और ऐसा अन्य विवरण दें) :
- क्या सेवा कंपनी ने लॉयड्स सेवा कंपनी रक्षाधारक (कवरहोल्डर) वचनपत्र पूरा किया है जिसके द्वारा सेवा कंपनी दोनों लॉयड्स तथा स्थानीय कानूनी, राजकोषीय, कराधान और विनियामक प्राधिकरणों के सभी संगत नियमों और अपेक्षाओं का पालन करने के लिए स्वीकृति देती है। - हाँ / नहीं
- क्या सेवा कंपनी ने लॉयड्स का रक्षाधारक (कवरहोल्डर) निर्णय-पत्र पूरा किया है। - हाँ / नहीं
- कृपया निम्नलिखित के संबंध में विस्तृत जानकारी दें :
 - i. प्रबंध एजेंट / प्रवर्तक द्वारा सेवा कंपनी को प्रदत्त जोखिम-अंकन और दावा प्राधिकार का स्तर;
 - ii. सेवा कंपनी के लिए व्यावसायिक कार्यनीति जिसमें शामिल होंगे भौगोलिक विस्तार, जोखिम-अंकन, प्रतिधारण सीमाओं, निवेशों, सूचना प्रौद्योगिकी, भर्ती और प्रशिक्षण, आंतरिक नियंत्रण, प्रशासन के व्यय, तकनीकी कौशल सहित पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के प्रकार।
 - iii. सेवा कंपनी में परिचालन करनेवाले प्रधान स्टाफ से संबंधित विवरण;
 - iv. वित्तीय सूचना;
 - v. व्यावसायिक क्षतिपूर्ति विवरण;
 - vi. सेवा कंपनी द्वारा जोखिम-अंकन किये जानेवाले व्यवसाय के वर्ग;
 - vii. लाइसेंसिकरण की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सेवा कंपनी द्वारा अपनाया जानेवाला दृष्टिकोण;
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य जोखिम-अंकन अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी के दायित्वों का आबंटन (प्रस्तावित);
- संगठनात्मक संरचना, सूचना-प्रणाली (रिपोर्टिंग) के संबंध;
- क्या सेवा कंपनी ने लॉयड्स के न्यूनतम मानकों के आधार पर लॉयड्स सेवा कंपनी का स्व-मूल्यांकन पूरा किया है - हाँ / नहीं
- क्या सेवा कंपनी ने सेवा कंपनी जोखिम-अंकन करार किया है, जो एक ऐसी संविदा है जो संबंधित व्यवसायसंघों के लॉयड्स के सदस्यों से सेवा कंपनी को प्राधिकार प्रत्यायोजित करती है - हाँ / नहीं
- यदि हाँ, तो उन व्यवसायसंघों का विवरण जिनका वे प्रतिनिधित्व करती हैं।

13. सेवा कंपनी के सभी निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य जोखिम-अंकन अधिकारी (सीयूओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति) का विवरण:

विवरण अलग शीटों में प्रस्तुत करें, प्रोफार्मा नीचे दिया गया है:-

- नाम (और कोई पिछले नाम)
- निजी और व्यावसायिक पता (पिछले 15 वर्षों के अंदर किन्हीं अन्य निजी पतों सहित), वर्तमान टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल पते:
- जन्म की तारीख और स्थान
- राष्ट्रियता (और कोई पिछली राष्ट्रियता)
- पासपोर्ट / पहचान पत्र:
 - संख्या
 - जारी करने की तारीख और स्थान
 - समाप्ति की तारीख
 - जारी करनेवाला प्राधिकारी:
- कंपनी को अथवा कंपनी की ओर से दिये गये किन्हीं ऋणों अथवा गारंटियों का विवरण जिनमें निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों का प्रबंधकीय अथवा शेयरधारिता संबंधी हित हो
- परिवार की स्थिति
- शैक्षिक अर्हताओं का विवरण और तारीखें:
- व्यावसायिक अर्हता का विवरण और तारीखें :
- प्रत्याशित स्थिति का विवरण (दायित्वों सहित) और प्रारंभ करने की प्रस्तावित तारीख:
- कार्य अनुभव:
 - वर्तमान और पूर्ववर्ती नियोजक (पिछले 15 वर्षों को शामिल करते हुए)
 - क्या निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों और / या उनके नियोजकों का औपचारिक रूप से पर्यवेक्षण अथवा विनियमन किया गया है, इसका विवरण
 - नियोजक के व्यवसाय का स्वरूप
 - पदनाम: (कर्तव्यों और दायित्वों सहित)
 - नियुक्ति की तारीख
 - त्यागपत्र/ प्रस्थान की तारीख
 - पिछले 15 वर्षों में अन्य व्यावसायिक हितों का विवरण जहाँ निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक कार्यरत शेयरधारक, निदेशक अथवा नियंत्रक रहे हों।
- कंपनी अथवा संबंधित कंपनियों अथवा दूसरे अन्य पक्षकारों के साथ संबंध:-
 - कंपनी, अथवा संबंधित कंपनियों अथवा अन्य पक्षकारों में शेयरधारिताओं अथवा मताधिकारों का विवरण:
 - कंपनी अथवा संबंधित कंपनियों अथवा अन्य पक्षकारों के साथ किन्हीं व्यावसायिक संबंधों का विवरण:
 - निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों के भूतपूर्व नियोजकों एवं कंपनी अथवा संबंधित कंपनियों अथवा अन्य पक्षकारों के बीच किन्हीं व्यावसायिक संबंधों का विवरण:
- निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों की प्रतिष्ठा और आचरण संबंधी पूरा विवरण:-
 - क्या आवेदक को कभी दिवालिया घोषित किया गया है;
 - धोखाधड़ी अथवा अन्य बेईमानी से संबद्ध रूप में किसी अपराध की कोई दोषसिद्धि है;

-निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों को निदेशक के रूप में अथवा किसी कंपनी अथवा संगठन के प्रबंधन में कार्य करने से कभी अयोग्य ठहराया गया है;

-क्या निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों को कभी किसी विनियमित वित्तीय व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस अथवा प्राधिकार देने से अस्वीकृत किया गया है (अथवा उसे वापस लिया गया है);

○किसी सरकारी, विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय द्वारा कोई निंदा की गई है अथवा अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है;

○पद अथवा नियोजन से कोई बरखास्तगी, निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों के नियोजक द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई की अधीनता अथवा किसी व्यवसाय अथवा पेशे में प्रवेश को कभी अस्वीकार किया गया है;

○पिछले 5 वर्षों के दौरान ऐसा कोई मुकदमा रहा है जिसमें निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक संबद्ध रहे हों;

○क्या किसी सरकारी, विनियामक अथवा व्यावसायिक निकाय ने कभी किसी नियोजक, कंपनी अथवा संगठन की जाँच-पड़ताल की है जिसके साथ निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक अथवा शेयरधारक के रूप में संबद्ध रहे हों;

○क्या किसी कंपनी अथवा संगठन, जिसके साथ निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक, शेयरधारक अथवा नियंत्रक के रूप में संबद्ध रहे हों, का कभी समापन किया गया है, कभी वह रिसेवरशिप की स्थिति में आ गया है अथवा जब निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक उसके साथ संबद्ध थे तब अथवा निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों की संबद्धता के समाप्त होने के बाद एक वर्ष के अंदर उसने व्यापार करना समाप्त किया है।

टिप्पणी वाले स्तंभ में कृपया उल्लेख करें कि क्या कोई निदेशक भारत में अथवा किसी विदेश में किसी अन्य बीमा कंपनी (अथवा पुनर्बीमाकर्ता) का एजेंट, दलाल, कोई अन्य मध्यवर्ती, निदेशक अथवा कर्मचारी है अथवा भारत में अथवा किसी विदेश में किसी अन्य कंपनी का निदेशक है।

II. लॉयड्स इंडिया व्यवसायसंघ का विवरण

14. लॉयड्स इंडिया व्यवसायसंघ का प्रवर्तन करनेवाले लॉयड्स के सदस्यों का नाम और अन्य विवरण:

15. लॉयड्स इंडिया व्यवसायसंघ को स्थापित करने के लिए लॉयड्स के सदस्यों से अनुमति:

16. लॉयड्स इंडिया व्यवसायसंघ द्वारा जोखिम-अंकन किये जानेवाले पुनर्बीमा व्यवसाय की व्यवस्था: जीवन/ साधारण/ सम्मिश्र

17. क्या व्यवसायसंघ ने सेवा कंपनी जोखिम-अंकन करार किया है – हाँ / नहीं

18. यदि हाँ, तो सेवा कंपनी का विवरण

19. लॉयड्स व्यवसायसंघ की समनुदेशित पूँजी की राशि: रुपये

20. वित्तीय पूर्वानुमान

वित्तीय पूर्वानुमानों और धारणाओं के लिए प्रयुक्त मॉडल का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए (वित्तीय पूर्वानुमान परिचालन प्रारंभ करने से लेकर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किये जाएँ)। इनके अंतर्गत निम्नलिखित को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए:

- व्यवसाय का परिमाण।
- सहायक और प्रशासनिक स्टाफ का आकार।
- प्रीमियम आय।

- निवेश आय।
- कमीशन और अन्य विक्रय संबंधी व्यय।
- प्रशासन संबंधी व्यय।
- आयकर और अन्य कर।
- सांविधिक आरक्षित निधियाँ।
- अपेक्षित शोधक्षमता (साल्वेन्सी) मार्जिन।
- लाभ-हानि लेखे और तुलन-पत्र।
- पूँजीगत आवश्यकताएँ।
- लाभ-अलाभ अवधियाँ और पूँजी पर प्रतिलाभ।

इस खंड में उस तरीके के संबंध में भी चर्चा की जानी चाहिए जिसमें भावी पूँजीगत आवश्यकताएँ पूरी की जाएंगी।

21. पिछले आवेदन का विवरण: क्या आवेदक ने कभी भारत में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है अथवा पंजीकरण के लिए अनुरोध किया है? यदि ऐसा है तो ब्योरा प्रस्तुत करें।

22. निष्कर्ष: निष्कर्ष के तौर पर आवेदन में परिचालनों की व्यवहार्यता/ अर्थक्षमता के संबंध में चर्चा की जानी चाहिए। यदि कोई विशेष विषय अथवा सरोकार हों तो उनके बारे में भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

लॉयड्स इंडिया सेवा कंपनी और लॉयड्स इंडिया व्यवसायसंघ द्वारा संयुक्त प्रमाणीकरण

हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करते हैं कि आवेदक की ओर से इस आवेदन फार्म में दिये गये तथ्य सही हैं तथा पूर्वानुमान और प्राक्कलन युक्तसंगत धारणाओं पर आधारित हैं।

1. लॉयड्स इंडिया सेवा कंपनी का प्रतिनिधित्व करनेवाले प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

.....
.....

2. लॉयड्स इंडिया व्यवसायसंघ का प्रतिनिधित्व करनेवाले प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर(मुहरसहित)

.....

स्थान:

दिनांक:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लॉयड्स इंडिया द्वारा प्रमाणीकरण

मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता, सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि आवेदक की ओर से इस आवेदन फार्म में दिये गये तथ्य सही हैं।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लॉयड्स इंडिया के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

स्थान:

दिनांक:

लॉयड्स इंडिया सेवा कंपनी और लॉयड्स इंडिया व्यवसायसंघ के लिए

पंजीकरण का संयुक्त प्रमाणपत्र

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

पंजीकरण का संयुक्त प्रमाणपत्र

पंजीकरण संख्या:

प्रमाणित किया जाता है कि

1. (लॉयड्स इंडिया सेवा कंपनी का नाम, पता सहित)
2. (लॉयड्स इंडिया व्यवसायसंघ का नाम)

को आज के दिन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016 के अनुसार पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए लॉयड्स इंडिया के घटक बनने हेतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2ए) के उपबंधों के अनुसार संयुक्त रूप से पंजीकृत किया गया है।

आज _____ दिन, _____ माह, दो हजार _____

को प्राधिकरण की मुहर के अधीन प्रदान किया गया है।

स्थान:

दिनांक:

कृते भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन.III/4/असाधारण/403(161)]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 9th March, 2016

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Lloyd's India) Regulations, 2016

F. No. IRDAI/Reg/4/116/2016- In exercise of the powers conferred by section 3, 6 and 114A of the Insurance Act, 1938, and sections 14 read with 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee hereby makes the following regulations, namely:

CHAPTER I

1. Short title and commencement.—(a) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Lloyd's India) Regulations, 2016.

(b) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.

2. Definitions. ---In these regulations, unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means the Insurance Act, 1938;

(b) "Applicant" means: a) The Society of Lloyd's on behalf of Members of Lloyd's; hereafter referred to as Lloyd's; b) service companies of Lloyd's India; and c) Syndicates of Lloyd's India.

(c) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 (41 of 1999);

(d) "Indian reinsurer" means a reinsurer granted certificate of registration by the Authority under Section 101A of the Act.

(e) "Insurance Brokers placing risks with Lloyd's India" means Indian Composite/ Reinsurance Brokers who wish to place business with Lloyd's India and meet the specified criteria.

(f) "Lloyd's India" means the branch office of the applicant granted certificate of registration by the Authority under these regulations to transact reinsurance business.

(g) "Managing Agent" means a corporate entity which has permission from Lloyd's to manage a syndicate and carry on underwriting and other functions on behalf of members of Lloyd's

(h) "Members of Lloyd's India" means Member of Lloyd's those who wish to participate in Lloyd's India;

(i) "Net Owned Fund (NOF)" shall consist of

i) paid up equity capital,

- ii) free reserves,
- iii) securities premium account
sum of which is reduced by
- iv) accumulated losses,
- v) book value of intangible assets,

The Net Owned Fund should be computed on the basis of last audited Balance Sheet and any capital raised after the Balance Sheet date should not be accounted for while computing NOF.

- (j) “Service Companies of Lloyd’s India” means
 - i) Service Companies promoted by Managing Agents of Lloyd’s
 - ii) Service Companies promoted by Indian Companies and meets the specified criteria
- (k) “Syndicates of Lloyd’s India” means Syndicates of Lloyd’s who wish to participate in Lloyd’s India through a service company delegated authority arrangement.
- (l) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts, Rules, Regulations issued under those Acts as the case may be.

CHAPTER II

CONSTITUENTS OF LLOYD’S INDIA

3. Constituents of Lloyd’s India include

- (a) Members of Lloyd’s, formed collectively as
 - (b) Syndicates who delegate authority to
 - (c) Service companies, located within Lloyd’s India
- 4. Lloyd’s shall set up Lloyd’s India, that will be granted certificate of registration to establish a market and associated structures for conduct of reinsurance business in India and outside India in the manner set out in the regulations.
 - 5. Lloyd’s India being a market shall ensure that the market and the constituents are housed within an office location of Lloyd’s India for the conduct of reinsurance business.
 - 6. The syndicates and service companies of Lloyd’s India will also be issued certificate of registration by the Authority in accordance with these regulations.

CHAPTER III

REGISTRATION OF LLOYD’S INDIA

7. Procedure for registration for Lloyd’s India

- (a) The applicant desiring to carry on reinsurance business through Lloyd’s India shall make a requisition for registration application in Form IRDAI/Lloyd’s/ R1.
 - (b) The applicant, whose requisition for registration application has been accepted by the Authority, shall make an application in Form IRDAI/Lloyd’s/R2 for grant of a certificate of registration for carrying on reinsurance business.
- 8. Requisition for registration application** – An applicant shall make a requisition for registration application under regulation 7 for reinsurance business in any of the following:
- (a) Category I – wherein each syndicate shall maintain a minimum retention of 50% of the Indian reinsurance business.
 - (b) Category – II – wherein each syndicate shall maintain a minimum retention of 30% of the Indian reinsurance business.
- 9. Eligibility criteria** - The Authority may consider request for requisition for registration application from the applicant to set-up Lloyd’s India in India on being satisfied that:
- (a) The applicant has obtained the prior approval or an in-principle clearance from the home country regulator at the time of filing the application with the Authority.
 - (b) The applicant shall be registered or certified in a national regulatory environment and with whom the Government of India has signed Double Taxation Avoidance Agreement.
 - (c) The Net Owned Fund of the applicant shall not be less than the prescribed amount of rupees five thousand crore at any time.
 - (d) The applicant shall have a minimum credit rating which is having atleast good financial security characteristics from any of the internationally renowned credit rating agencies for the last 3 years.

- (e) The applicant shall have been in reinsurance business for at least 10 years.
- (f) The applicant shall have a solvency margin as stipulated by the home regulator.
- (g) The applicant shall infuse a minimum assigned capital of rupees one hundred crore into Lloyd's India.
- (h) Any other requirement that may be specified by the Authority from time to time.
- 10. Requisition for Registration Application**
- (a) An applicant shall be eligible to apply for requisition of application, if such applicant upon registration will be an insurer as defined in section 2(9)(d) of the Act:
Provided that the applicant whose:
- requisition for registration application has been rejected by the Authority at any time during the preceding three financial years on the date of requisition for registration application; or
 - application for registration has been rejected by the Authority at any time during the preceding three financial years on the date of requisition for registration application; or
 - certificate of registration has been cancelled or withdrawn by the Authority in the preceding three years;
- shall not be eligible to make a requisition for registration application under these regulations.
- 11. Every requisition for registration application shall be accompanied by:**
- a certified copy of the charter and byelaws under the Lloyd's Act, 1982 which details the manner of formation and conduct of its business;
 - the name, position, address and the occupation of the person proposed to be in-charge of the operations in India;
 - a statement indicating infusion of the assigned capital as may be specified by the Authority from time to time;
 - a certified copy of the annual report of applicant for the last five years preceding the year of filing of requisition of registration application
 - copy of the certificate from the home country regulator that the applicant has the necessary permissions to open Lloyd's India.
 - a letter of comfort from Lloyd's that it shall meet claims against members of Lloyd's underwriting reinsurance through a Service Company in Lloyd's India and that the holder of reinsurance policy issued by a member of Lloyd's under these regulations shall have recourse to Lloyd's Chain of Security, including the Central Fund at all times.
 - any other requirement that may be specified by the Authority from time to time.
- 12. Furnishing of further information and clarification, etc.** - The Authority may require the applicant, to furnish further information or clarification regarding the matters relevant to consider the requisition for registration application.
- 13. Consideration of requisition for registration application.-**
- The Authority shall take into account all matters relating to carrying on the business of reinsurance by the applicant while considering its requisition for registration application.
 - In particular and without prejudice to the generality of the foregoing, the Authority shall consider the following matters, namely:-
 - the general track record of conduct and performance of the applicant in the field of business/ profession they are engaged in;
 - the record of conduct and performance of the directors and persons in management of the applicant;
 - the proposed infrastructure of Lloyd's India, to effectively carry out the reinsurance business;
 - the proposed business plan for the five succeeding years;
 - other relevant matters for carrying out the provisions of the Act.
 - The Authority on being satisfied with the information submitted that-
 - the requisition in Form IRDAI/ Lloyd's/ R1 is complete in all respects and is accompanied by all documents required therein;
 - Lloyd's India will carry on all functions in respect of the reinsurance business;

may accept the requisition and direct supply of the application for registration to the applicant.
- 14. Rejection of requisition for registration application –** (1) Where the requirements under regulation 13 are not complied with, the Authority may, after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard, reject the requisition for registration application.
- (2) The order rejecting the application under sub-regulation (1) shall be communicated by the Authority within thirty days of such rejection to the applicant in writing stating therein the ground on which the requisition for registration application has been rejected.

- (3) An applicant aggrieved by the decision of the Authority under sub-regulation (2) may, within a period of forty-five days from the date on which a copy of the decision is received appeal to the Securities Appellate Tribunal (SAT) for reconsideration of the decision.

15. Application for registration – (1) An applicant, whose requisition for application for registration has been accepted, may make an application in Form IRDAI/Lloyd's/ R2 for grant of certificate of registration.

- (2) Every application shall be accompanied by---
- (a) documentary proof of evidence of having rupees one hundred crore or more assigned capital;
 - (b) an affidavit by the person authorised by the Board of Directors or the executive committee of Management, of the applicant, as the case may be, certifying that the requirements of the assigned capital have been satisfied;
 - (c) an affidavit by the applicant certifying that the requirements of section 6(2) of the Act to the effect that Net Owned Fund of the company is above rupees five thousand crore, have been satisfied
 - (d) the receipt showing payment of non-refundable fee of rupees five lakhs;
 - (e) a certificate from a practising chartered accountant or a practising company secretary certifying that all the requirements relating to registration fees, assigned capital and other requirements of the Act have been complied with by the applicant;
 - (f) any other information required by the Authority during the processing of the application for registration.

16. Consideration of Application

- (a) The Authority shall take into account for considering the grant of certificate of registration, all matters relating to carrying on the business of reinsurance by the applicant through Lloyd's India.
- (b) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing, the Authority shall consider the following matters for grant of certificate to the applicant, namely:-
 - (a) the record of conduct and performance of the directors and persons in management of the applicant;
 - (b) the proposed infrastructure of Lloyd's India;
 - (c) the proposed underwriting skills that will be transferred to Lloyd's India;
 - (d) other relevant matters for carrying out the provisions of the Act.
- (c) The Authority on being satisfied that---
 - (i) the application in Form IRDAI/ Lloyd's/ R2 is complete in all respects and is accompanied by all documents required therein;
 - (ii) the applicant shall carry on the reinsurance business as may be specified;

may accept the application for registration to the applicant.

17. Rejection of application for registration

- (a) Where an application for registration is not complete in all respects and does not conform to the regulations or instructions specified in Form IRDAI/ Lloyd's/ R2, and after considering the matter referred to in regulations 15, 16 and 19 and on being satisfied that it is not desirable to grant a certificate of registration the Authority, by an order, may reject the application.

Provided before rejecting the application the applicant is given a reasonable opportunity of being heard by the Authority.

- (b) The order rejecting the application under sub-regulation (1) shall be communicated by the Authority within thirty days of such rejection to the applicant in writing stating therein the ground on which the application has been rejected.
- (c) An applicant aggrieved by the decision of the Authority under sub-regulation (2) may, within a period of thirty days from the date on which the copy of the decision is received, appeal to the SAT for reconsideration of such decision.
- (d) The fees, referred to in clause (d) of regulation 15(2), shall not be refunded.

18. Manner of payment of fee for registration - The non-refundable fee of rupees five lakhs shall be remitted by a bank draft issued by any scheduled bank in favour of the Insurance Regulatory and Development Authority of India or by recognised electronic funds transfer to Insurance Regulatory and Development Authority of India.

19. Grant of certificate of registration - The Authority, after making such inquiry as it deems fit and on being satisfied that –

- (a) The applicant is eligible, and in his/ her opinion, is likely to meet effectively its obligations imposed under the Act;
- (b) the financial condition and the general character of management of the applicant are sound;
- (c) the volume of business likely to be available to and earning prospects of the applicant will be adequate;

- (d) the interests of the general public will be served if the certificate is granted to the applicant in respect of the class of reinsurance business specified in the application;

may register the applicant as a branch office of Lloyd's for reinsurance category as specified in Regulation 8 of these regulations for which the applicant is found suitable and grant the applicant a certificate in Form IRDAI/Lloyd's / R3.

20. Conditions governing the approval of Lloyd's India

While considering the grant of certificate of registration for Lloyd's India, the Authority shall stipulate the following conditions:

- a. The applicant shall furnish a duly certified copy of the resolution of the Board of Directors or the Executive Committee of Management of the applicant, as the case may be, in support of the commitment given in the letter of comfort as per Regulation 11(f).
 - b. Lloyd's India shall be capable of underwriting risks and settling claims on behalf of member of Lloyd's.
 - c. The minimum assigned capital shall be invested in accordance with the IRDAI (Investment) Regulations, 2000 as amended from time to time.
 - d. The applicant shall make a firm commitment to appoint in its branch office in India, sufficiently skilled staff to underwrite specialized classes of business and that the underwriting of Indian business shall take place at the Indian branch on behalf of members of Lloyd's.
 - e. The applicant shall make a commitment to organise training of Indian underwriters in handling various classes of business.
 - f. Lloyd's India shall comply with the requirements of Foreign Exchange Management Act, 1999 and any other law in force governing the operations of such offices.
 - g. Lloyd's India shall follow the Insurance Act, 1938, IRDA Act, 1999, Rules, Regulations, circulars, guidelines, etc. in its operations.
- 21. Time Limit:** An applicant who has been granted a certificate of registration under these Regulations shall commence reinsurance business for which he has been authorised within twelve months of the date of registration.
- Provided, however, that if Lloyd's India is not able to commence the reinsurance business within the specified period of twelve months, it can, before the time limit expires, seek an extension, by a proper written application, to the Chairperson of the Authority.
- (a) The Chairperson of the Authority on receipt of the request will examine it and communicate the decision in writing either rejecting the request or granting it.
 - (b) No extension of time shall be granted by the Chairperson of the Authority beyond eighteen months from the date of grant of certificate of registration under Regulation 19.

CHAPTER IV

MEMBER'S OF LLOYD'S INDIA

22. Member of Lloyd's India

- (a) Lloyd's India shall inform the Authority in the format given in Annexure "1" of Members of Lloyd's who wish to participate in Lloyd's India.
- (b) The list of Members of Lloyd's underwriting through Service Companies of Lloyd's India shall be furnished to the Authority on an annual basis.

CHAPTER V

SERVICE COMPANIES OF LLOYD'S INDIA

23. Norms for establishing Service Companies of Lloyd's India

- (a) Managing Agents of Lloyd's and Indian companies wishing to participate in Lloyd's India shall set up a service company with the following norms
 - i. The service company may be a private or a public limited company with a minimum capital of rupees five lakh.
 - ii. The main objects of MOA/ AOA shall be to provide all technical, underwriting, binding risks, settling claims, administrative, accounting, investment, regulatory and other assistance to the syndicate(s) whom they represent.
 - iii. The service company shall be responsible for all statutory & regulatory filings and compliances on behalf of the syndicate it represents.

- iv. The Chief Executive Officer (CEO) of a service company shall be subject to fit & proper criteria and shall be appointed with prior approval of the Authority.
- v. Any other requirement that may be specified by the Authority from time to time

24. Procedure for registration of service company for Lloyd's India

- (a) The Managing Agents of Lloyd's who wish to set-up a service company to underwrite reinsurance at Lloyd's India shall make an application to the Authority through Lloyd's India in the format given at Annexure "2".
- (b) Indian companies who wish to set-up a service company for Lloyd's India shall make an application to the Authority through Lloyd's India in the format given at Annexure "2".
- (c) The service company shall indicate the syndicate(s) that it may or may not represent in Lloyd's India.
- (d) The application for registration of a service company for Lloyd's India shall be accompanied with fee of rupees fifty thousand.

25. Undertakings to be completed by service company for Lloyd's India

- (a) The service company shall complete the Lloyd's Service Company Coverholder Undertaking through which the Service Company agrees to comply with all relevant rules and requirements of both Lloyd's and the local legal, fiscal, taxation and regulatory authorities.
- (b) The service company shall also complete the Lloyd's Coverholder Decision Paper which provides detailed information on the proposed Service Company, including:
 - i. the level of underwriting and claims authority granted to the Service Company,
 - ii. the business strategy for the Service Company,
 - iii. details relating to principal staff operating in the Service Company,
 - iv. financial information,
 - v. professional indemnity details,
 - vi. classes of business to be underwritten by the Service Company,
 - vii. the approach the Service Company will take to ensure compliance with registration requirements
 - viii. other requirements as specified by Lloyd's subject to approval of the Authority.
- (c) Subsequent to completing the decision paper, the service company shall perform Lloyd's Service Company Self-Assessment against the Lloyd's Minimum Standards which includes information such as any internal audit carried out on the Service Company.
- (d) Any other requirement that may be specified by the Authority from time to time.

26. Consideration of application to become a service company of Lloyd's India

- (a) The Chairperson of the Authority after taking into account all submissions including the recommendation of Lloyd's India shall issue a certificate of registration jointly to the service company of Lloyd's India and the syndicate (s) it represents.
- (b) The certificate of registration granted shall be valid for a period of 3 years.

27. Conditions governing service companies of Lloyd's India

- (a) The service companies of Lloyd's India shall be subject to compliance of the conditions laid down by Lloyd's India.
- (b) The service companies shall enter into Service Company Underwriting Agreement, a contract that delegates authority to the service company from the Members of the relevant syndicates.
- (c) The service company of Lloyd's India under the Service Company Underwriting Agreement shall be responsible for the following:
 - i. Binding insurances and amendments thereto on behalf of Members of Lloyd's;
 - ii. Acting on behalf of Members of Lloyd's for the purpose of receiving premiums from reinsured's and settling refunds and to receive claims money prior to onward transmission to reinsured's;
 - iii. management and control of expenses;
 - iv. employment of underwriting staff;
 - v. Any other task that may be entrusted to it by Lloyd's India to carry out the business of reinsurance in an efficient manner.
- (d) The service company shall undertake the following:
 - i. issuance of documents evidencing the contracts of insurance, endorsements and other such documents evidencing cover as may be agreed in writing by the underwriters;
 - ii. collect and process premiums and return premiums on the underwriters behalf;
 - iii. handle claims and/or settle claims, if authorised;

- iv. shall use prominently the name of the Syndicates which they represent and that they are merely writing on Syndicates capacity and not acting as insurers themselves;
- v. skill development and capacity building of local talent;
- vi. strive to make India as a reinsurance hub;
- vii. compliance with FEMA and other local laws;
- viii. compliance to the conditions laid down by Lloyd's India;
- ix. compliance of Act, Regulations, guidelines, circulars issued by the Authority;
- x. compliance to any other requirement that may be specified by the Authority from time to time.

28. Rejection of application or revocation of certificate of registration for a service company of Lloyd's India

- (a) Where an application of Indian company for setting up a service company is rejected by Lloyd's India, the Indian company may appeal to the Authority.
- (b) The Authority may consider the appeal and considering all facts of the case may pass necessary orders.

In case the application of a service company of Lloyd's India is rejected by the Authority, such an order shall be communicated by the Authority within thirty days of such rejection in writing stating therein the ground on which the application has been rejected.

- (c) Where the certificate of registration issued by the Authority is sought to be revoked by Lloyd's India the same shall be sent to the Authority along-with the recommendation of Lloyd's India giving the reasons for revocation.
- (d) The Authority may consider the request and considering all facts of the case may pass necessary orders.
- (e) In case the certificate of registration of a service company of Lloyd's India is revoked by the Authority, such an order shall be communicated by the Authority within thirty days of such revocation in writing stating therein the ground on which the application has been revoked.
- (f) An applicant aggrieved by the decision of the Authority under sub-regulation (b) may, within a period of forty-five days from the date on which a copy of the decision is received appeal to the Securities Appellate Tribunal (SAT) for reconsideration of the decision.

29. Renewal of certificate of registration for a service company of Lloyd's India

- (a) The service company shall apply for renewal of certificate of registration through Lloyd's India in the same format given in Annexure "2".
- (b) The procedure of renewal of certificate of registration of a service company, consideration of the application, undertakings and conditions governing their conduct shall be as specified in Regulations 24, 25, 26 and 27 above.

30. Surrender of certificate of registration of a service company of Lloyd's India

- (a) A service company may apply for a surrender of certificate of registration through Lloyd's India.
- (b) The Authority may consider the request for surrender after considering all facts of the case including servicing of the existing contracts and may pass necessary orders.

CHAPTER VI

SYNDICATES PARTICIPATING IN LLOYD'S INDIA

31. Procedure for syndicates participating in Lloyd's India

- (a) Syndicates of Lloyd's who wish to underwrite reinsurance through a Service Company in Lloyd's India shall apply along-with the service company to the Authority through Lloyd's India in the format given at Annexure "2".

32. Consideration of application to underwrite in Lloyd's India

- (a) The Chairperson of the Authority after taking into account all submissions including the recommendation of Lloyd's India shall issue a certificate of registration jointly to the service company of Lloyd's India and the syndicate(s) it represents.

33. Conditions governing approval to operate as a syndicate in Lloyd's India

- (a) Every syndicate shall through the service company maintain an assigned capital of rupees five crore.
- (b) The syndicates shall enter into Service Company Underwriting Agreement, a contract that delegates authority to the service company from the Members of Lloyd's of the relevant syndicates.
- (c) Syndicates of Lloyd's India shall ensure that:
 - i. the reinsurance business is managed on behalf of the members of Lloyd's India through the service company;
 - ii. the members of the syndicates contract with the reinsured;
 - iii. premiums are collected at syndicate level and carried to a premium trust funds held for that syndicate;
 - iv. outward reinsurance is placed and recoveries are collected at syndicate level;
 - v. expenses associated with the conduct of the business are incurred and paid at syndicate level;

- vi. liabilities are paid at syndicate level;
- vii. surpluses are determined at syndicate level;
- viii. cash calls are made at syndicate level; and
- ix. any other requirement that may be specified by the Authority from time to time.

34. Renewal of certificate of registration to underwrite in Lloyd's India

- (a) The syndicates of Lloyd's India shall apply along-with the service companies to the Authority through Lloyd's India in the format given at Annexure "2".
- (b) The procedure of renewal of certificate of registration of a syndicate of Lloyd's India, consideration of the application and conditions governing their conduct shall as specified in Regulations 31, 32 and 33 above.

35. Surrender of certificate of registration to underwrite in Lloyd's India

- (a) A syndicate may apply for a surrender of certificate of registration through Lloyd's India.
- (b) The Authority may consider the request for surrender after considering all facts of the case including servicing of the existing contracts and may pass necessary orders.

CHAPTER VII

INSURANCE BROKERS PLACING RISKS WITH LLOYD'S INDIA

36. Norms for becoming an Insurance broker placing risks with Lloyd's India

- (a) Only those insurance brokers who have been granted certification of registration by the Authority to work as composite or reinsurance brokers can work for Lloyd's India.
- (b) The functioning of insurance brokers associated with Lloyd's India will be governed by the IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013.

CHAPTER VIII

MANNER AND PAYMENT OF FEES

I. Lloyd's India

37. Annual fee. –

(1) Lloyd's India which has been granted a certificate of registration under Section 3 of the Act shall pay an annual fee to the Authority by 31st day of December of each financial year.

(2) The annual fee shall be higher of

- (a) five lakhs rupees, or
- (b) one twentieth of one percent of the total premium in respect of facultative reinsurance accepted in India during the financial year preceding the year in which the annual fees is required to be paid subject to a maximum of rupees ten crore.

38. (1) If Lloyd's India fails to deposit the annual fee before the date specified in regulation 37, the Authority may accept the payment of annual fee along with an additional fee by way of penalty of:

- a. Two percent of the annual fee if paid within 30 days from the specified date.
- b. Ten percent of the annual fee if paid before the end of financial year

(2) Where Lloyd's India has failed to pay the fee before the end of the financial year then, certificate of registration shall be liable to be cancelled.

39. Manner of payment of fee - The annual fee shall be paid into the account of Insurance Regulatory and Development Authority of India. The annual fee shall be remitted by a bank draft issued by any scheduled bank payable at Hyderabad or by any recognised electronic funds transfer mode.

40. Issue of duplicate certificate.--The Authority may, on receipt of fee of rupees five thousand, issue a duplicate certificate of registration to Lloyd's India, if Lloyd's India makes an application to the Authority in Form IRDAI/Lloyd's/ R4.

II. Service Company and syndicates of Lloyd's India

41. Renewal fee – The service company shall pay a renewal fee of rupees fifty thousand at the time of renewal of their certificate of registration carrying its name and that of the syndicate(s) that it may represent.

42. Manner of payment of renewal fees - The manner of payment of renewal fee shall be as specified in regulations 38.

43. Issue of duplicate certificate – The Authority may, on receipt of fee of rupees five thousand, issue a duplicate certificate to the service company.

CHAPTER – IX
PROCEDURE FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT

44. Suspension or cancellation of certificate.— Without prejudice to any penalty which may be imposed or any action taken under the provisions of the Act, the registration of Lloyd's India or the service company or the syndicate granted certification of registration who -

- (a) conducts its business in a manner prejudicial to the interests of the policyholders or ceding insurers;
- (b) fails to furnish any information as required by the Authority relating to its reinsurance business;
- (c) does not submit periodical returns as required under the Act or by the Authority;
- (d) does not cooperate in any inquiry conducted by the Authority;
- (e) indulges in manipulating the reinsurance business;
- (f) indulges in unfair trade practices;
- (g) fails, at any time, to comply with the provisions of Section 64VA as to the excess of the value of his asset over the amount of his liabilities,
- (h) is in liquidation or is adjudged as an insolvent,
- (i) if the business or a class of the business has been transferred to any person or has been transferred to or amalgamated with the business of any other insurer without the approval of the Authority,
- (j) makes default in complying with, or acts in contravention of, any requirement of the Act or of any rule or any regulation or order made or any direction issued thereunder
- (k) carries on any business other than insurance business or any prescribed business,
- (l) makes a default in complying with any direction issued or order made, by the Authority under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999,
- (m) makes a default in complying with , or acts in contravention of, any requirement of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 or the Foreign Exchange Management Act, 1999 or the Prevention of Money Laundering Act, 2002
- (n) fails to pay the annual fee, or the renewal fee,
- (o) is convicted of an offence under any law for the time being in force

may be suspended or cancelled for the category of reinsurance business for such period as may be specified by the Authority by an order;

Provided that the Authority for reasons to be recorded in writing may, in case of repeated defaults of the type mentioned above, impose a penalty of cancellation of certificate of registration.

In the case of Lloyd's India, the Authority, may withhold registration already made, if it is satisfied that Lloyd's has been debarred by law or practice by the home country to carry on reinsurance business.

45. Manner of making order of suspension or cancellation of certificate.—No order of suspension or cancellation shall be imposed except after holding an enquiry in accordance with the procedure specified in these regulations.

46. Manner of holding enquiry before suspension or cancellation — (1) For the purpose of holding an enquiry under regulation 45, the Authority may appoint an enquiry officer.

(2) The enquiry officer shall issue to Lloyd's India or the service company or the syndicate a notice at the principal place of business.

(3) Lloyd's India or the service company or the syndicate may, within thirty days from the date of receipt of such notice, furnish to the enquiry officer a reply, together with copies of documentary or other evidence relied upon by it or sought by the Authority.

(4) The enquiry officer shall give a reasonable opportunity of being heard to Lloyd's India or the service company or the syndicate to enable it to make submissions in support of its reply made under sub-regulation (3).

(5) If it is considered necessary, the enquiry officer may ask the Authority to appoint a presenting officer to present its case.

(6) Lloyd's India or the service company or the syndicate may either appear through an authorised employee or through any other person duly authorised by it before the enquiry officer,

Provided that no advocate shall be permitted to represent Lloyd's India or the service company or the syndicate at the enquiry:

Provided further that where an advocate has been appointed by the Authority as the presenting officer under sub-regulation (5), it shall be lawful for Lloyd's India or the service company or the syndicate to present its case through an advocate.

(7) The enquiry officer shall, after taking into account all relevant facts and submissions made by Lloyd's India or the service company or the syndicate, submit a report to the Authority and recommend the penalty to be awarded as also the justification of the penalty proposed.

47. Show-cause notice and order:- (1) On receipt of the report from the enquiry officer, the Authority shall consider the same and if considered necessary by it, issue a show-cause notice as to why action as it considers appropriate should not be initiated.

(2) Lloyd's India or the service company or the syndicate shall, within twenty-one days of the date of receipt of the show-cause notice, send a reply to the Authority.

(3) The Authority after considering the reply to the show-cause notice, if received, shall as soon as possible but not later than thirty days from the receipt of the reply, if any, pass such orders as it deems fit. If no reply is furnished to the Authority by Lloyd's India or the service company or the syndicate within 90 days of the service of the notice, the Authority can proceed to decide the issue ex-parte.

(4) An order passed under sub-regulation (3) shall give reasons therefor including justification of the penalty imposed by that order.

(5) The Authority shall send a copy of the order made under sub-regulation (3) to Lloyd's India or the service company or the syndicate.

48. Effect of suspension or cancellation of certificate- On and from the date of suspension or cancellation of the certificate, Lloyd's India or the service company or the syndicate shall cease to transact new reinsurance business:

49. Publication of order - The order of the Authority passed under sub-regulation (3) of regulation 47, shall be published in atleast two daily newspapers in the area where Lloyd's India or the service company or the syndicate has its principal place of business.

Chapter X

OPERATIONS OF LLOYD'S INDIA

50. Operational issues pertaining to Lloyd's India:

The applicant granted the certificate of registration by the Authority to transact reinsurance business through Lloyd's India shall ensure that the following minimum requirements are addressed at all times and shall submit to the Authority the necessary approval of their Board of Directors or the executive committee of their Management, as the case maybe :

1. Geographical Scope – Syndicates of Lloyd's India through their service company shall transact reinsurance business with Indian insurers, as well as reinsurance business outside India in accordance with their laid down underwriting policy.
2. Assigned Capital – (a) The assigned capital of Lloyd's India shall not to be less than the amount specified at the time of grant of certificate of registration. This amount shall be invested in accordance with the IRDA (Investment) Regulations, 2000 as amended from time to time.
(b) In addition the syndicates of Lloyd's India through their service company shall maintain an assigned capital specified at the time of grant of certificate of registration which shall be invested in accordance with the IRDA (Investment) Regulations, 2000 as amended from time to time.
3. Appointment of Chief Executive Officer, Lloyd's India and key management personnel of service company that represents the syndicates – (a) Lloyd's shall obtain prior approval of the Authority on the appointment, reappointment, removal and managerial remuneration payable to Chief Executive Officer, Lloyd's India. The person so appointed shall satisfy the 'fit and proper criteria of the Authority.
(b) The details of the key personnel of a service company along-with their bio-data shall be submitted as part of the registration process and any change subsequently intimated to the Authority. For the purposes of these regulations key personnel shall include chief executive officer, chief financial officer and chief underwriter in the service company for the syndicate(s).
4. Outsourcing: The service company of Lloyd's India shall retain the core activities such as underwriting, claims settlement and regulatory compliances; and may outsource functions such as back-office servicing, investment, IT, accounts, marketing, human resources, administration and publicity. No other function can be outsourced without the prior approval of the Authority.

5. Accounting –The service companies of Lloyd’s India shall prepare and submit financial returns including statement of accounts of the syndicates through Lloyd’s India in the manner as may be specified in the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditor’s Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 as amended from time to time.
6. Investment- The service companies of Lloyd’s India shall invest and keep invested the investible assets of the syndicate through Lloyd’s India in accordance with the IRDA (Investment) Regulations, 2000 in so far as they are applicable to Indian reinsurers.
For the purpose of these regulations, “Investible Assets” include the following
 - a. assets corresponding to the liabilities arising out of Indian reinsurance business or the amount of premium retained in the country of the Indian reinsurance business, whichever is higher, and
 - b. Margin of solvency computed in accordance with the solvency regulations issued by the Authority.
7. Reinsurance & Retrocession: - (a) The syndicates of Lloyd’s India shall be subject to the same reinsurance regulations as applicable to Indian insurer and reinsurer.
 - (b) In case Lloyd’s India is granted certificate of registration as per Regulation 8(a), then
 - i) each syndicate shall maintain a minimum retention of 50% of the Indian reinsurance business.
 - ii) a syndicate who fails to keep the minimum retention limit of 50%, notwithstanding penal action given in clause (d) below, shall obtain prior approval of the Authority to transact business in Category – II.
 - iii) a syndicate granted approval under clause 8(b)(ii) above shall not be eligible for order of preference for cessions by Indian insurers as those available to Indian Reinsurer for a minimum period of 3 years, unless the syndicate has obtained specific prior approval of the Authority on an application seeking exemption from the 50% minimum retention limit.
 - (c) In case Lloyd’s India is granted certificate of registration as per Regulation 8(b)
 - i) each syndicate shall maintain a minimum retention of 30% of the Indian reinsurance business.
 - ii) a syndicate who fails to keep the minimum retention limit of 30%, notwithstanding penal action given in clause (d) below, shall not underwrite new reinsurance business from Indian insurance companies for a period of 3 years, unless the syndicate has obtained specific prior approval of the Authority on an application seeking exemption from the 30% minimum retention limit.
 - (d) Any breach of the specified limits shall be viewed as violation of the regulations and shall render Lloyd’s India and the syndicate liable for penal action as specified under the Insurance Act, 1938.
8. Order of preference for cessions by Indian insurers – Every Indian insurer, in order of preference, shall offer for participation in its facultative and treaty surpluses to Lloyd’s India on par with branch offices of foreign reinsurers as given in regulation 28(9) of IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd’s) Regulations, 2015.
9. Solvency Margin – The service companies of Lloyd’s India shall prepare and submit statement of assets, liabilities and solvency margin requirements of the syndicates through Lloyd’s India in the manner as may be specified in the IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations 2000 as amended from time to time.
10. Repatriation of surplus – Any repatriation of the surplus generated by the operations of the syndicates of Lloyd’s India shall be only with prior approval of the Authority. The Authority before granting such an approval shall obtain all relevant information and satisfy itself that the assets of the syndicates of Lloyd’s India are adequate to meet their liabilities. In addition, the repatriation of surplus shall comply with the other requirement of RBI/FEMA, as applicable.
11. Delegated authorities: The service company of Lloyd’s India shall provide systems and checks to ensure that delegated powers, in respect of syndicates they represent, are exercised prudently and judiciously by the authorised officials and has no adverse fallout on the operation in India. The Lloyd’s and Lloyd’s India shall also review the delegated powers of functionaries at every service company and syndicate level as regards adequacy of such powers to meet local operational requirements and the delegated authority. A copy of such review shall be filed with the Authority annually.
12. Supervision and Control: Lloyd’s and Lloyd’s India shall review all control returns including the system of periodical reviews submitted by the service companies to ensure effective supervision and control and to monitor the syndicates continued viability. A copy of synopsis of the findings of the inspection / audit / scrutiny and compliance submitted by Lloyd’s India put up to the Audit Committee of the Lloyd’s shall also be submitted to the Authority.
13. Other issues: Lloyd’s India shall immediately report to the Authority any regulatory or supervisory action taken by the home country regulator with full details and the penalty, any administrative action, if any imposed and the remedial steps taken by Lloyd’s to prevent its recurrence.
14. Reporting requirements by the syndicates through the service company of Lloyd’s India to the Authority- Lloyd’s India shall submit to the Authority the following reports as stipulated.
 - i. Financial reporting
 - ii. Actuarial reporting
 - iii. Business Reporting
 - iv. Downgrading Reporting: Lloyd’s India shall immediately report along-with relevant documents to the Authority any downgrade in rating by any internationally renowned credit rating agency.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mr./Ms.							

Note: If the shareholder/ subscriber is a company or a body corporate registered in a foreign country, give the name of the company or body corporate in column (1), the country of incorporation and the date of registration in column (2), mention the areas of operation of the company in col.(5), leaving the columns 4 and 6 blank; particulars indicating the countries of operation, nature of business enclosing statements of accounts of the company or body corporate for the last 5 years are to be given. Adequate care may be taken to furnish full and complete information truthfully. Any misrepresentation found later will lead to disqualification of the applicant.

18. Details of Members of Lloyd's: [Please give full name, address, percentage of holding in the paid up capital of the foreign reinsurer, Occupation, Qualifications and Experience, Number of shares held and Percentage of share capital in the company] Please attach separate sheets if necessary. Details of persons holding more than 1% of the paid up capital or its equivalent of the applicant are to be given.

Full Name [first, middle, surname]	Date of Birth	Address with Telephone Nos., Fax Nos., E-mail	Qualifications	Experience	Present occupation	No. of equity (voting rights) shares and percentage of total holding	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mr./Ms.							

Note: If the shareholder/ subscriber is a company or a body corporate registered in a foreign country, give the name of the company or body corporate in column (1), the country of incorporation and the date of registration in column (2), mention the areas of operation of the company in col.(5), leaving the columns 4 and 6 blank; particulars indicating the countries of operation, nature of business enclosing statements of accounts of the company or body corporate for the last 3 years are to be given. Adequate care may be taken to furnish full and complete information truthfully. Any misrepresentation found later will lead to disqualification of the applicant.

19. Applicant: This section should set out the background information. Following information should be included:

- Particulars of the applicant (e.g. company name, address, names of directors, etc.).
- Nature of business, years in business of the applicant.
- Past record of regulatory interventions/restrictive directions in respect of the applicant.
- The applicant's reasons for entering the reinsurance market.
- Financial statements for the last five years. Strengths of the applicant.
- Ratings by international credit rating agencies for the last 3 years excluding the year of making the application
- Indication of the degree of commitment to the Indian market place displayed by the applicant.
- The obligations undertaken by the applicant.

20. Lloyd's India Details

This section should provide the key aspects of Lloyd's India. This will cover the following:

- Lloyd's India Address:
- Address for Communication (state the name of the Authorised person, telephone numbers, fax numbers, mobile number, e-mail address and such other details:
- Chief Executive Officer & CFO and allocation of responsibilities.(Proposed)
- Organizational structure. Reporting relationships.
- Details of Members of Syndicates who delegate authority to Service Companies and Lloyd's India: [Please give full name, address, percentage of holding in the paid up capital of the foreign reinsurer, Occupation, Qualifications and Experience, Number of shares held and Percentage of share capital in the company] Please attach separate sheets if necessary. Details of persons holding more than 1% of the paid up capital or its equivalent of the applicant are to be given.

Full Name [first, middle, surname]	Date of Birth	Address with Telephone Nos., Fax Nos., E-mail	Qualifications	Experience	Present occupation	No. of equity (voting rights) shares and percentage of total holding	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mr./Ms.							

Note: If the shareholder/ subscriber is a company or a body corporate registered in a foreign country, give the name of the company or body corporate in column (1), the country of incorporation and the date of registration in column (2), mention the areas of operation of the company in col.(5), leaving the columns 4 and 6 blank; particulars indicating the countries of operation, nature of business enclosing statements of accounts of the company or body corporate for the last 5 years are to be given. Adequate care may be taken to furnish full and complete information truthfully. Any misrepresentation found later will lead to disqualification of the applicant.

21. Capital structure

- Amount of Assigned Capital:

22. Details of Directors of the applicant and the person responsible for overseeing Lloyd's India and Chief Executive Officer (CEO) and Chief Financial Officer (CFO) of Lloyd's India (Key Management Personnel) :

Please furnish the particulars in separate sheets the pro forma given below:-

- Name (and any previous names)
- Private and Business Address (including any other private addresses within the last 15 years), current Telephone, Fax and E-mail Addresses:
- Date and Place of Birth
- Nationality (and any previous Nationality)
- Passport / Identity Card:
 - Number
 - Date and Place of Issue:
 - Date of expiry
 - Issuing Authority:
- Name and Address of Bank:

--Account Numbers and Type of Account:

--Details of any loans or guarantees issued to or on behalf of the company in which the Directors and Key Management Personnel have a management or shareholding interest

- Family Status
- Details and Dates of Academic Qualification:
- Details and Dates of Professional Qualification:
- Description of the prospective position (including responsibilities) and proposed date of commencement:
- Work Experience:
 - Existing and Previous Employers (covering last 15 years)
 - Details of whether the Directors and Key Persons and / or their Employers have been formally supervised or regulated
 - Nature of Employer's Business
 - Designation: (including duties and responsibilities)
 - Date of Appointment
 - Date of Resignation/Departure
 - Details of Other Business interests in the last 15 years where the Directors and Key Management Personnel have been a working shareholder, director or controller.
- Relationship with the Company or related Companies or other third parties:-
 - Details of shareholdings or voting powers in the company, or related Companies or third parties:
 - Details of any Business relationships with the company or related Companies or third parties:
 - Details of any Business relationships between the Directors and Key Management Personnel former employers and the company or related Companies or third parties:
- Full details on the Directors and Key Management Personnel reputation and character:-
 - whether the applicant has ever been declared bankrupt;
 - any convictions of any offence involving fraud or other dishonesty;
 - any disqualification of the Directors and Key Management Personnel from acting as a director or in the management of any company or organisation;
 - whether the Directors and Key Management Personnel have ever been refused (or had revoked) a licence or authorisation to carry on any regulated financial business;
- Any censure or disciplinary action initiated by any government, regulatory or professional body;
- Any dismissals from office or employment, subjection to disciplinary proceedings by the Directors' and Key Management Personnel's employer or been refused entry to any profession or occupation;
- Any litigation in which the Directors and Key Management Personnel have been involved over the last 5 years;
- Whether any governmental, regulatory or professional body has ever investigated any employer, company or organisation with which the Directors and Key Management Personnel have been associated as a director, officer, manager or shareholder;
- Whether any company or organisation with which the Directors and Key Management Personnel were associated as a director, officer, manager, shareholder or controller has ever been wound up, gone into receivership or ceased trading either whilst the Directors and Key Management Personnel was associated with it or within one year after the Directors and Key Management Personnel so ceased to be associated.

In the Remarks column, please mention whether any director is an agent, broker, any other intermediary, director or employee of any other insurance company (or reinsurer) in India or in any foreign country or director of any other company in India or in any foreign country.

23. Financial Projections

A description of the model used for financial projections and assumptions should be provided, (financial projections for a period of 5 years separately, for each year from the commencement of operations). These should set out the following:

- Amount of business.
- Size of support and administrative staff.
- Premium income.
- Investment income.
- Commissions and other sales related expenses.
- Expenses of administration.
- Income tax and other taxes.
- Statutory reserves.
- Required solvency margins.
- Profit and loss accounts and balance sheets.
- Capital needs.
- Break-even periods and the Return on Capital.

This section should also discuss the manner in which the future capital needs will be met.

24. Particulars of Previous Application: Has the applicant ever applied for registration or request for registration in India? If so, give particulars.

25. Conclusion: In conclusion, the application should discuss the viability of the operations. Any special issues or concerns should also be indicated.

Certification

I, the undersigned, solemnly declare that the facts given in this application form on behalf of the Applicant are true and that the projections and estimations are based on reasonable assumptions.

Place

Date: Signature of the Authorised Person (*with seal*)

FORM IRDAI/LLOYD'S/ R2

APPLICATION FOR REGISTRATION

1. Geographic Spread: Give the address of the office. Please furnish which countries, jurisdictions and territories Lloyd's India will cover.

2. Market Research and Analysis

The applicant may have undertaken some form of market analysis to ascertain the market potential. The applicant may furnish full description of the research, along with the conclusions reached.

3. Types of Reinsurance arrangements to be offered

The applicant may give detail of the types of reinsurance arrangements that it will offer to the Indian and other markets in order to enable it to become a regional hub.

4. Underwriting

This section should describe the approach used for underwriting of proposals, etc. Please also state the nature of support to be provided in underwriting and in training of underwriters and upgradation of skills of the local persons by the applicant.

5. Investments

The applicant should describe its investment philosophy that will be appropriate for the products it intends to market. Other information should include the investment personnel, investment adviser (if outsourced), location of the investment operations, investment brokers to be used, etc. and norms regarding Investment, Valuation, Exposure – Prudential – Provisioning Norms.

6. Information Technology

Insurance industry is very much dependent on computer technology. Full description should be provided of the following:

- The different areas where computer systems will be employed.
- The degree of interconnectivity of the systems.
- A description of how the IT systems will be used to develop the required Management Information System.
- Extent of procedures and operations which will remain manual.

7. *Retention Limits and Reinsurance*

The nature of reinsurance arrangements should be described fully, giving the following details:

- The basis of reinsurance.
- Terms of reinsurance.
- Manner of reinsurance support from Lloyd's / Members of Lloyd's.

8. *Recruitment and Training*

Different areas may require personnel with different skill sets. Some of the special technical skills would require special focus. The applicant should submit a detailed write-up on its plans to impart technical skills and knowledge locally.

9. *Internal Controls*

The applicant will need to establish a set of procedures and norms for various activities. The manner in which these will be monitored should be described.

10. *Expenses of Administration*

The proposed expenses as a per cent of premium.

11. *Technical skills*

The technical skills of the people who will work in the Lloyd's India and service company and plan for imparting knowledge for skill upgradation at local level.

Certification

I, the undersigned, solemnly declare that the facts given in this application form on behalf of the Applicant are true and that the projections and estimations are based on reasonable assumptions.

Place

Date:

Signature of the Authorised Person (with Seal)

FORM IRDAI/LLOYD'S/ R3

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(Seal of the Authority)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration Number. _____

This is to certify that LLOYD'S INDIA located at _____ has this day been registered in accordance with the provisions of sub-section (2A) of section 3 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) to transact the classes of business specified in the Schedule below.

Given under the seal of the Authority at this _____ day of _____ two thousand and _____

Schedule

Classes of business which may be transacted:--

1. _____

2. _____

FORM IRDAI/ LLOYD'S/ R4**APPLICATION FOR ISSUE OF DUPLICATE CERTIFICATE OF REGISTRATION**

(LLOYD'S INDIA shall apply in the following format along-with with the documents specified herein:)

To

Insurance Regulatory and Development Authority of India.

Hyderabad

We request you to issue a duplicate certificate of registration for which we give below the following details:

2. Registration Number:
3. Date of Certificate of Registration:
4. How original certificate has been lost, destroyed or mutilated?
5. Particulars of remittance of fee.

Place

Yours truly,

Date:

Signature of the Chief Executive Officer

(Name of the Chief Executive Officer) (With Seal)

Notes: 1. Enclose the original copy of the resolution of the board for the issue of duplicate certificate, in duplicate.

2. Enclose a DD for Rupees five thousand drawn in favour of Insurance Regulatory and Development Authority of India payable at Hyderabad or a proof of electronic funds transfer of the amount to the account of IRDAI.

Annexure "1"

1. Details of Members of Lloyd's India : [Please give full name, address, percentage of holding in the paid up capital of the foreign reinsurer, Occupation, Qualifications and Experience, Number of shares held and Percentage of share capital in the company] Please attach separate sheets if necessary. Details of persons holding more than 1% of the paid up capital or its equivalent of the applicant are to be given.

Full Name [first, middle, surname]	Date of Birth	Address with Telephone Nos., Fax Nos., E-mail	Qualifications	Experience	Present occupation	No. of equity (voting rights) shares and percentage of total holding	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mr./Ms.							

Note: If the shareholder/ subscriber is a company or a body corporate registered in a foreign country, give the name of the company or body corporate in column (1), the country of incorporation and the date of registration in column (2), mention the areas of operation of the company in col.(5), leaving the columns 4 and 6 blank; statements of accounts of the company or body corporate for the last 3 years are to be given

Annexure "2"

Application Form - IRDAI/ Lloyd's India Service Company & Lloyd's India Syndicate

(to be applied through Lloyd's India)

I. Details of Lloyd's India Service Company

2. Name of the Lloyd's India Service Company:
3. Address:
4. Date of incorporation of the applicant: [DD/MM/YYYY]
5. Registration No. issued by the Registrar of the Company, India:
6. Main objects of MOA/ AOA of the Lloyd's India service company:
7. Amount of authorised capital or its equivalent and amount subscribed:
8. No. of years that the managing agent / promoter of the service company has been active. If so, details thereof:
9. Permission from Lloyd's allowing establishment of a service company by the Managing Agent or Board Resolution by the Board of Directors of the promoter of the service company, as applicable:
10. Details of shareholders/ subscribers of the service company: [Please give full name, address, percentage of holding in the paid up capital of the managing agent, Occupation, Qualifications and Experience, Number of shares held and Percentage of share capital in the company] Please attach separate sheets if necessary. Details of persons holding more than 5% of the paid up capital or its equivalent of the applicant are to be given.

Full Name [first, middle, surname]	Date of Birth	Address with Telephone Nos., Fax Nos., E-mail	Qualifications	Experience	Present occupation	No. of equity (voting rights) shares and percentage of total holding	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mr./Ms.							

Note: If the shareholder/ subscriber is a company or a body corporate registered in a foreign country, give the name of the company or body corporate in column (1), the country of incorporation and the date of registration in column (2), mention the areas of operation of the company in col.(5), leaving the columns 4 and 6 blank; particulars indicating the countries of operation, nature of business enclosing statements of accounts of the company or body corporate for the last 5 years are to be given. Adequate care may be taken to furnish full and complete information truthfully. Any misrepresentation found later will lead to disqualification of the service company.

11. Details of Managing Agent / Promoter of the Service Company, as applicable: This section should set out the background information. Following information should be included:

- Particulars of the Managing Agent / Promoter of the service company, as applicable (e.g. company name, address, names of directors, etc.).
- Nature of business, years in business of the Managing Agent/ Promoter of the Service Company.
- Past record of regulatory interventions/restrictive directions in respect of the Managing Agent/ Promoter of the Service Company.
- Financial statements for the last five years.
- Strengths of the Managing Agent/ Promoter of the service company.

12. Details of Service Company

This section should provide the key aspects of the service company. This will cover the following:

- Service Company Address:
- Address for Communication (state the name of the Authorised person, telephone numbers, fax numbers, mobile number, e-mail address and such other details:

- Whether the service company has completed the Lloyd's Service Company Coverholder Undertaking through which the Service Company agrees to comply with all relevant rules and requirements of both Lloyd's and the local legal, fiscal, taxation and regulatory authorities. – Yes/ No
- Whether the service company has completed the Lloyd's Coverholder Decision Paper - Yes/ No
- Please provide detailed information on the following:
 - i. the level of underwriting and claims authority granted to the Service Company by the Managing Agent/ Promoter;
 - ii. the business strategy for the Service Company which will include geographic spread, underwriting, types of reinsurance arrangements including retention limits, investments, information technology recruitment and training, internal controls, expenses of administration, technical skills.
 - iii. details relating to principal staff operating in the Service Company,
 - iv. financial information,
 - v. professional indemnity details,
 - vi. classes of business to be underwritten by the Service Company,
 - vii. the approach the Service Company will take to ensure compliance with licensing requirements.
- Allocation of responsibilities of Chief Executive Officer, Chief Underwriting Officer & Chief Financial Officer.(Proposed)
- Organizational structure. Reporting relationships.
- Whether the service company has completed the Lloyd's Service Company Self-Assessment against the Lloyd's Minimum Standards – Yes/ No
- Whether the Service company has entered into Service Company Underwriting Agreement, a contract that delegates authority to the service company from Members of Lloyd's of the relevant syndicates – Yes/ No
- If yes, the details of the syndicates they represent.

13. Details of all the Directors, Chief Executive Officer (CEO), Chief Underwriting Officer (CUO) and Chief Financial Officer (CFO) of the service company (Key Management Personnel):

Please furnish the particulars in separate sheets the pro forma given below:-

- Name (and any previous names)
- Private and Business Address (including any other private addresses within the last 15 years), current Telephone, Fax and E-mail Addresses:
- Date and Place of Birth
- Nationality (and any previous Nationality)
- Passport / Identity Card:
 - Number
 - Date and Place of Issue:
 - Date of expiry
 - Issuing Authority:
- Details of any loans or guarantees issued to or on behalf of the company in which the Directors and Key Management Personnel have a management or shareholding interest
 - Family Status
 - Details and Dates of Academic Qualification:
 - Details and Dates of Professional Qualification:
 - Description of the prospective position (including responsibilities) and proposed date of commencement:
 - Work Experience:
 - Existing and Previous Employers (covering last 15 years)
 - Details of whether the Directors and Key Persons and / or their Employers have been formally supervised or regulated
 - Nature of Employer's Business

- Designation: (including duties and responsibilities)
- Date of Appointment
- Date of Resignation/Departure
- Details of Other Business interests in the last 15 years where the Directors and Key Management Personnel have been a working shareholder, director or controller.
- Relationship with the Company or related Companies or other third parties:-
 - Details of shareholdings or voting powers in the company, or related Companies or third parties:
 - Details of any Business relationships with the company or related Companies or third parties:
 - Details of any Business relationships between the Directors and Key Management Personnel former employers and the company or related Companies or third parties:
- Full details on the Directors and Key Management Personnel reputation and character:-
 - whether the applicant has ever been declared bankrupt;
 - any convictions of any offence involving fraud or other dishonesty;
 - any disqualification of the Directors and Key Management Personnel from acting as a director or in the management of any company or organisation;
 - whether the Directors and Key Management Personnel have ever been refused (or had revoked) a licence or authorisation to carry on any regulated financial business;
- Any censure or disciplinary action initiated by any Government, regulatory or professional body;
- Any dismissals from office or employment, subjection to disciplinary proceedings by the Directors' and Key Management Personnel's employer or been refused entry to any profession or occupation;
- Any litigation in which the Directors and Key Management Personnel have been involved over the last 5 years;
- Whether any governmental, regulatory or professional body has ever investigated any employer, company or organisation with which the Directors and Key Management Personnel have been associated as a director, officer, manager or shareholder;
- Whether any company or organisation with which the Directors and Key Management Personnel were associated as a director, officer, manager, shareholder or controller has ever been wound up, gone into receivership or ceased trading either whilst the Directors and Key Management Personnel was associated with it or within one year after the Directors and Key Management Personnel so ceased to be associated.

In the Remarks column, please mention whether any director is an agent, broker, any other intermediary, director or employee of any other insurance company (or reinsurer) in India or in any foreign country or director of any other company in India or in any foreign country.

II. Details of the Lloyd's India Syndicate

14. Name and other details of Members of Lloyd's promoting Lloyd's India Syndicate:
15. Permission from Members of Lloyd's to set-up Lloyd's India syndicate:
16. Line of reinsurance business that will be underwritten by Lloyd's India syndicate: Life/ General/ Composite
17. Whether the syndicate has entered into the Service Company Underwriting Agreement – Yes/No
18. If yes, details of the service company
19. Amount of assigned capital of Lloyd's syndicate: Rs

20. Financial Projections

A description of the model used for financial projections and assumptions should be provided, (financial projections for a period of 5 years separately, for each year from the commencement of operations). These should set out the following:

- Amount of business.
- Size of support and administrative staff.
- Premium income.
- Investment income.
- Commissions and other sales related expenses.
- Expenses of administration.
- Income tax and other taxes.

- Statutory reserves.
- Required solvency margins.
- Profit and loss accounts and balance sheets.
- Capital needs.
- Break-even periods and the Return on Capital.

This section should also discuss the manner in which the future capital needs will be met.

21. Particulars of Previous Application: Has the applicant ever applied for registration or request for registration in India? If so, give particulars.

22. Conclusion: In conclusion, the application should discuss the viability of the operations. Any special issues or concerns should also be indicated.

Joint Certification by the Lloyd's India Service Company and Lloyd's India Syndicate

We, the undersigned, solemnly declare that the facts given in this application form on behalf of the Applicant are true and that the projections and estimations are based on reasonable assumptions.

1. Signature of the Authorised Person representing Lloyd's India Service Company (*with seal*)
2. Signature of the Authorised Person representing Lloyd's India Syndicate (*with seal*)

Place:

Date:

Certification by Chief Executive Officer, Lloyd's India

I, the undersigned, solemnly declare that the facts given in this application form on behalf of the Applicant are true.

1. Signature of the Chief Executive Officer, Lloyd's India (*with seal*)

Place

Date:

JOINT CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR LLOYD'S INDIA SERVICE COMPANY AND LLOYD'S INDIA SYNDICATE

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

JOINT CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration Number. _____

This is to certify that

1. (Name of the Lloyd's India Service Company with address)
2. (Name of the Lloyd's India Syndicate)

has this day been jointly registered in accordance with the provisions of sub-section (2A) of section 3 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) to become constituents of Lloyd's India and transact reinsurance business in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Lloyd's India) Regulations, 2015.

Given under the seal of the Authority at this _____ day of _____ two thousand and _____

Place:

Date:

for Insurance Regulatory and Development Authority of India

T.S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III /4/Exty/403(161)]